

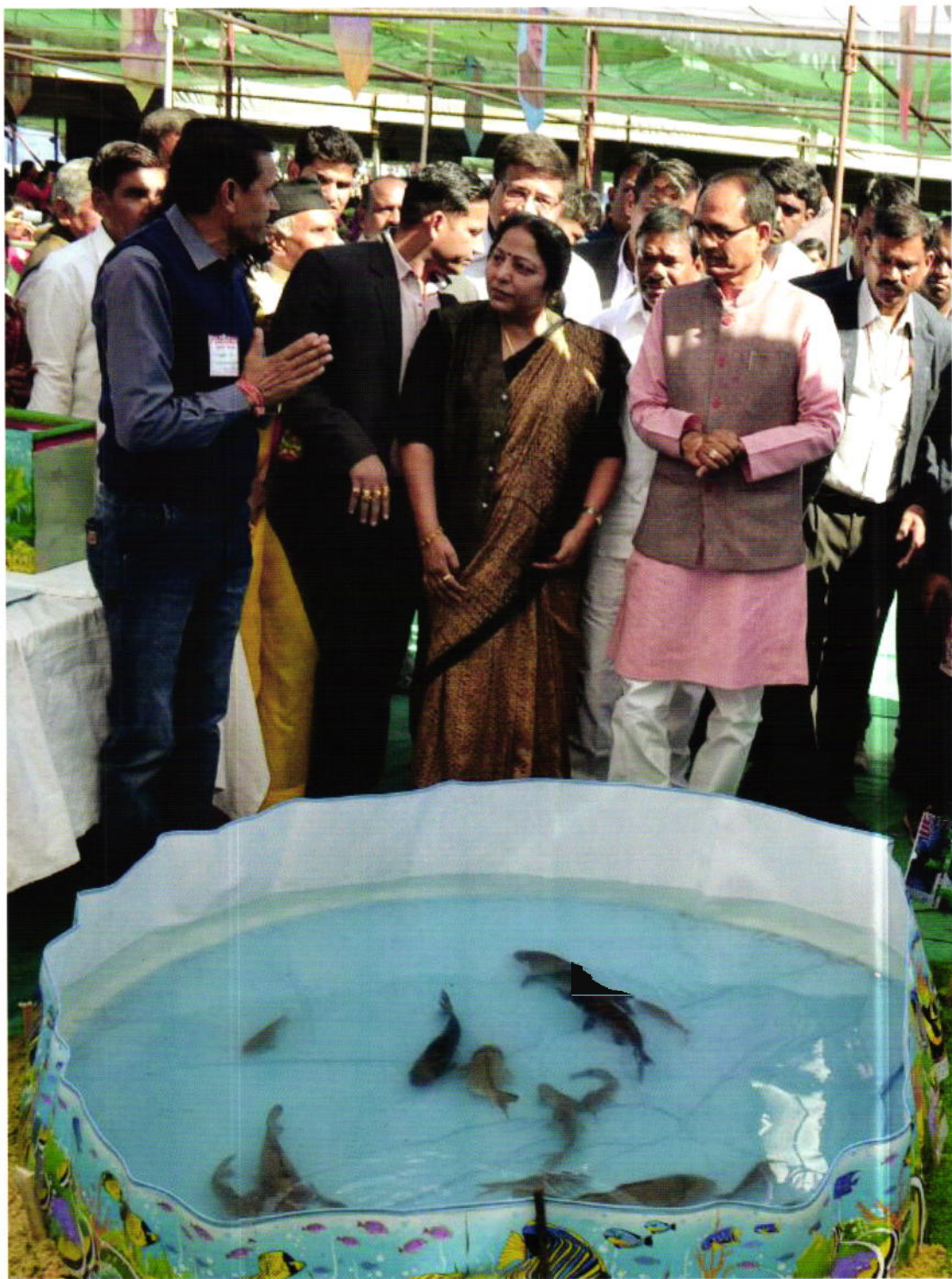


मध्यप्रदेश शासन

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016-17 एवं 2017-18
(माह दिसम्बर, 2017 तक)



संचालनालय मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश



मत्स्य मेला, देवास में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
मेले का अवलोकन करते हुए।



मध्यप्रदेश शासन

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016—17 एवं 2017—18
(माह दिसम्बर, 2017 तक)

संचालनालय मत्स्योद्योग
मध्यप्रदेश



मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने राज्य स्तरीय मछुआ कार्यशाला को संबोधित किया।





प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 (दिसंबर 2017 तक)

मध्य प्रदेश शासन

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | विभाग का नाम | मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग |
| 2. | मंत्री, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग | सुश्री कुसुम सिंह महदले
दिनांक 24.12.2013 से 18.07.16
श्री अन्तर सिंह आर्य
दिनांक 19.07.2016 से निरन्तर । |

मंत्रालय

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त | श्री प्रेमचन्द्र.मीना (आई.ए.एस.)
23.09.2015 से निरन्तर |
| 2. | प्रमुख सचिव का नाम | श्री अरुण तिवारी (आई.ए.एस.)
25-06-2015 से 30.06.2016
श्री अश्विनी कुमार राय (आई.ए.एस.)
02-07-2016 से 16.12.2016
3. श्री विनोद कुमार (आई.ए.स.)
16.12.2016 से निरन्तर |
| 3. | उप सचिव का नाम | श्रीमती कमला अजीतवार
23.03.2015 से 31.10.2016
श्री प्रकाश चन्द्र जागडे (आई.ए.एस.)
22.11.2016 से निरन्तर |
| 4. | अवर सचिव का नाम | श्रीमती कलिस्ता कुजूर
18.09.2014 से निरन्तर |



विभागाध्यक्ष

1. संचालक मत्स्योद्योग का नाम

श्री यू. के. पुरोहित

28.02.2011 से 31.08.2016

श्री ओ.पी.सक्सेना

01.09.2016 से निरंतर

म.प्र. मत्स्य महासंघ सहकारी (मर्या.) भोपाल

1. प्रबंध संचालक का नाम

श्री यू. के. सुबुद्धी (आई.एफ.एस.)

24-08-2012 से 10.08.2016

श्री सतीश चन्द्र सिलावट

(आई.एफ.एस.)

10.08.2016 से 21.7.2017

श्री महेन्द्र सिंह धाकड़

(आई.एफ.एस.)

21.7.2017 से निरन्तर

Website : <http://www.mpfisheries.gov.in>

Email : dirfish@mp.nic.in





मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मध्यप्रदेश

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 (दिसंबर 2017 तक)

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

भाग – एक

विभागीय संरचना	1-3
विभाग के दायित्व	4
विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	5-6
विभाग की प्रमुख गतिविधिया	7
महत्वपूर्ण सांख्यिकीय	8-12

भाग – दो

बजट विहंगावलोकन वर्ष 2016-17	13-15
बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	
बजट विहंगावलोकन वर्ष 2017-18	16-18
बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	

भाग – तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

अ- राज्य योजनाएं	19-33
ब- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	34-37
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	38
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	39

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय वर्ष 2016-17	40-41
सामान्य प्रशासनिक विषय वर्ष 2017-18 दिसम्बर 2017 तक	42-43

भाग – पांच

अभिनव योजना	44
-------------	----



भाग - छः

सारांश

45-46

परिशिष्ट (एक) राज्यपाल का अभिभाषण

47

परिशिष्ट (दो) सिटीजन चार्टर एवं लोक सेवा प्रदान की गारंटी

48-50

परिशिष्ट (तीन) महत्वपूर्ण सांख्यिकीय (दिसम्बर 2017 तक)

51-54

परिशिष्ट (चार) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

55-56

भाग - सात

(महिला खण्ड)

महिला समितियों/समूह की मछली पालन में भागीदारी वर्ष 2016-17

57-58

सफलता की कहानी

59-62

भाग - आठ

मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित भोपाल

63-75

का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2016-17 एवं 2017-18 (दिसंबर 2017 तक)





मध्य प्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

भाग - एक

विभागीय संरचना

विभाग का नियंत्रण प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अधीन है। संयुक्त रूप से विभाग का शुभारंभ वर्ष 1957-58 से हो कर वर्ष 1964 में पृथक मत्स्योद्योग विभाग की स्थापना हुई तब से लगातार मत्स्योद्योग विभाग के कार्यक्रमों का विस्तार हो रहा है। मध्यप्रदेश के मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालनालय मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश कार्यरत है। राज्य की मत्स्य सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था - मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी (मर्यादित) भोपाल राज्य के 1000 हैक्टर से बड़े जलाशयों के विकास एवं प्रबंधन हेतु कार्यरत है। संचालनालय मत्स्योद्योग के अधीन प्रदेश में माह मार्च 2017 तक 719 अमला कार्यरत है, प्रदेश में स्वीकृत एवं रिक्त पदों तथा कार्यरत कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:-

क्र. .	श्रेणी	स्वीकृत पद	पदों पर कार्यरत संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रथम	18	12	6
2	द्वितीय	67	33	34
3	तृतीय	705	326	379
4	चतुर्थ (नियमित)	362	208	154
5	चतुर्थ (नैमित्तिक)	238	140	98
	योग	1390	719	671

विभाग का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है । मुख्यालय प्रशासकीय नियंत्रण, योजना तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन नीति निर्धारण, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के लिये उत्तरदायी है। प्रदेश के 51 जिलों में कार्यालय स्थापित हैं ।



इसके अतिरिक्त संचालनालय के सीधे नियंत्रण में 4 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं:-

- 1- मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान नौगांव, छतरपुर ।
- 2- मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र पौण्डी (मैहर), सतना ।
- 3- मत्स्यालय भोपाल ।
- 4- अनुसंधान इकाई पातरा भोपाल ।

मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ प्राथमिक मत्स्य सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है राज्य शासन द्वारा 22 जलाशय तथा 05 मत्स्यबीज प्रक्षेत्र मत्स्य विकास और विपणन हेतु सौंपे गए हैं । मत्स्य महासंघ में 158 कर्मचारी कार्यरत हैं ।





विभागीय संरचना

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

प्रमुखा सचिव

संचालक मत्स्योद्योग

संचालनालय मत्स्योद्योग (मुख्यालय)

1. संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग
(जलाशय एवं प्रशासन)

→ सहायक संचालक मत्स्योद्योग
(जलाशय)

→ सहायक संचालक मत्स्योद्योग
(प्रशिक्षण/प्रकाशन)

2. संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग
(योजना/बजट)

→ उप संचालक मत्स्योद्योग
(योजना/बजट)

→ सहायक यंत्री (निर्माण)

3. उप संचालक मत्स्योद्योग
(मुख्यालय)

→ सहायक संचालक मत्स्योद्योग
(सामान्य)

4. उप संचालक मत्स्योद्योग

→ सहायक संचालक मत्स्योद्योग
(सहकारिता/मत्स्यबीज)

5. सहायक संचालक मत्स्योद्योग
(सांख्यिकीय)

6. सहायक संचालक मत्स्योद्योग

(मत्स्य कृषक विकास अभिकरण)

7. लेखा अधिकारी

राज्य स्तरीय संस्थाएं (04)

1. उप संचालक मत्स्योद्योग
प्रशिक्षण संस्थान नौगाँव
जिला छतरपुर

→ सहायक संचालक मत्स्योद्योग

2. उप संचालक मत्स्योद्योग
मत्स्यबीज प्रक्षेत्र पौण्डी मैहर
जिला सतना

→ सहायक संचालक मत्स्योद्योग

3. अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग,
भोपाल

4. मत्स्यालय अधिकारी भोपाल

संभागीय कार्यालय (07)

1. संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग
(जबलपुर/ग्वालियर)

2. उप संचालक मत्स्योद्योग
उज्जैन, भोपाल, सागर,
रीवा, इन्दौर

प्रबंध संचालक, म.प्र. मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित

मुख्यालय

मुख्य
महाप्रबंधक

सचिव

क्षेत्रीय कार्यालय (09)

क्षेत्रीय प्रबंधक



विभाग के कार्य / दायित्व

- 1- मछली पकड़ने के लिये सभी नदियों, जलाशयों तथा तालाबों का विकास।
- 2- मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों, की स्थापना तथा प्रबंधन।
- 3- मत्स्य पालन अंतर्गत मछलियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन।
- 4- मछली के संवर्धन विस्तार तथा विकास के लिए शोध।
- 5- मछली पकड़ने की पद्धति का विकास तथा विनियमन।
- 6- मत्स्य विपणन तथा विदोहन।
- 7- अन्य खाद्य जल प्राणियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन।
- 8- ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध अन्य विषय।





विभाग से सम्बंधित सामान्य जानकारी वर्ष 2016-17

मत्स्योद्योग विभाग प्रदेश में मत्स्य विकास और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, जिस हेतु विभाग, उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सतत् प्रयासरत है। प्रदेश में 4.05 लाख हैक्टर जलक्षेत्र जलाशय, पोखर और तालाब के रूप में उपलब्ध है, जिसमें 3.38 लाख हैक्टर जलक्षेत्र जलाशय का तथा 0.67 लाख हैक्टर जलक्षेत्र ग्रामीण तालाब एवं पोखर का सम्मिलित है, इसमें से 3.97 लाख हैक्टर जलक्षेत्र मत्स्य पालन अन्तर्गत लाया जा चुका है, जिसमें 3.33 लाख हैक्टर जलाशय का तथा 0.64 लाख हैक्टर ग्रामीण तालाबों एवं पोखरों का है।

उपरोक्त जलक्षेत्र में 2.130 लाख हैक्टर के 22 जलाशय मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ तथा 0.047 लाख हैक्टर के 20 जलाशय विभागाधीन एवं 1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के 1.060 लाख हैक्टर के 3017 सिंचाई जलाशय पंचायत राज संस्थाओं को मध्य प्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1548/2008/36 दिनांक 08.10.2008 से हस्तांतरित किये गये हैं।

विवरण	श्रेणी	जलाशय (संख्या)	जलक्षेत्र (हैक्टर)
ग्राम पंचायत	0-10 हैक्टर तक	874	5,643
जनपद पंचायत	10-100 हैक्टर तक	1,948	54,598
जिला पंचायत	100-1000 हैक्टर तक	195	45,621
	योग	3,017	1,05,862

अन्य स्वामित्व का 0.142 लाख हैक्टर जलक्षेत्र मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध है।

प्रदेश में चार नदी कछार यथा नर्मदा, गंगा, ताप्ति तथा माही हैं, जिनका जाल 17,088 किलोमीटर लम्बाई में फैला हुआ है। मत्स्यबीज मछलीपालन की मुख्य निविष्टि है। प्रदेश में मत्स्यबीज उत्पादन में विभाग के साथ-साथ निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज उत्पादक एवं मत्स्यबीज संवर्धनकर्ता भी कार्यरत हैं। प्रदेश की मत्स्यबीज की वार्षिक मांग 107.17 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई है। वर्तमान में राज्य का कुल मत्स्यबीज उत्पादन 111.13 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई



है, जो 107 करोड़ के लक्ष्य के विपक्ष में उपलब्धि 103.86 प्रतिशत रही मध्यप्रदेश में सभी स्रोतों से 138693.91 टन मत्स्योत्पादन हुआ, जिसमें ग्रामीण एवं अन्य तालाबों से 92820.43 तथा जलाशयों से 30842.53 टन, नदियों से 15030.95 टन प्राप्त हुआ। ग्रामीण तालाब से प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता 1798 किलो प्रति हैक्टर तथा सिंचाई जलाशयों में मत्स्य उत्पादकता 101 किलो प्रति हैक्टर है। प्रदेश में मत्स्य विकास मछुआ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, वर्तमान में 2290 मछुआ सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं, जो तालाब/जलाशय पट्टे पर लेकर तथा नदियों में मत्स्यपालन/ मत्स्याखेट का कार्य करती हैं। राज्य शासन द्वारा मत्स्य सहकारी समितियों/मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उनको दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष में 1,84,933 मछुओं को शासकीय व्यय पर दुर्घटना बीमा किया गया है।

वर्ष 2002-03 में केन्द्र प्रवर्तित “बचत-सह-राहत” योजना बंद ऋतु अवधि में मछुओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में लागू की गई है जिसमें पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के सक्रिय सदस्यों द्वारा माह सितम्बर से माह मई तक कुल 9 माह बचत राशि बैंक में जमा कराया जाता है। वर्ष- 2014-15 से मत्स्य पालकों द्वारा 09 माह में रुपये 100 प्रति माह की दर से बचत राशि रुपये 900 के समतुल्य रुपये 900 राज्य शासन तथा रुपये 900 केन्द्र शासन कुल रुपये 2700 का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017-18 में बचत राशि रुपये 1500 के समतुल्य रुपये 1500 राज्य शासन तथा रुपये 1500 केन्द्र शासन कुल रुपये 4500 का मछुआ समितियों के केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को बचत-सह-राहत योजना का लाभ दिया जा रहा है।

मत्स्य विकास की नवीन तकनीकी में सतत् अग्रसर होने के लिये विभागीय अधिकारियों को केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकीय संस्थान, बैरकपुर, केन्द्रीय मात्स्यिकीय शिक्षण संस्थान-मुंबई की सॉल्ट लेक इकाई कोलकाता, केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान-भुवनेश्वर में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। विभाग के तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक कर्मचारियों को मत्स्योद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव, जिला छतरपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के मछुआरों को 7 दिवस का निःशुल्क प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है।



विभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

1. मत्स्य कृषकों को उन्नत किस्म का मत्स्यबीज उपलब्ध कराया जाता है।
2. उन्नत मत्स्य पालन तकनीकी ग्रामीण स्तर तक विस्तारित/प्रचार-प्रसार क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारी मैदानी क्षेत्र पर जाकर सलाह देते हैं।
3. मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न वर्ग के हितग्राहियों को व्यावसायिक बैंकों से ऋण उपलब्ध करा कर अनुदान दिया जाता है।
4. मछुआ कल्याण हेतु राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाएं यथा समूह बीमा, इत्यादि संचालित हैं। बचत-सह-राहत राष्ट्रीय योजना वर्ष 2002-03 से प्रारंभ की गई है।
5. फरवरी 2010 से फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना 3 प्रतिशत व्याज दर से लागू की गई जिसे वर्ष 2011-12 से 1 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 से शून्य प्रतिशत व्याज दर पर मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
6. वर्ष - 2012-13 से आदर्श मत्स्य आहार योजना लागू की गई योजना में 01 हैक्टर के तालाब हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर रुपये 50 हजार का मत्स्य आहार पट्टा अविधि में एक बार उपलब्ध कराया जाता है।
7. वर्ष 2017-18 से राज्य में नील क्रांति योजना अन्तर्गत मत्स्य आहार निर्माण के लिये फिश फीड मील स्थापना, हैचरी निर्माण तथा वृहद जलाशयों में केज निर्माण कर मत्स्य पालन पर सामान्य जाति को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।
8. विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समय-सीमा निर्धारित की गई है जिसके तहत विभागीय योजना/कार्यक्रमों की जानकारी मत्स्याखेट, पट्टे प्रकरण, ऋण, अनुदान मछुआ प्रशिक्षण तथा कल्याणकारी कार्यों में संबंधित सेवा 15-30 दिन में प्रदाय करना। (परिशिष्ट-दो) पृ० क्र. 48-50
9. मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय का विवरण (परिशिष्ट-तीन) पृ० क्र. 51-54
10. सूचना का अधिकार 2005 के तहत समस्त जिलों में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर लागू किया गया है। संचालनालय स्तर पर श्री एच.के. खरे, उप संचालक मत्स्योद्योग (मुख्यालय) को लोक सूचना अधिकारी एवं श्री ए.के. श्रीवास्तव., सहायक संचालक मत्स्योद्योग जलाशय को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है।



महत्वपूर्ण सांख्यिकीय
मध्यप्रदेश एक दृष्टि में वर्ष 2016-17

क्र.	विवरण	जलक्षेत्र (लाखहेक्टर)
1	मछली पालन के लिए उपलब्ध जलक्षेत्र	
	अ- सिंचाई	3.38
	ब- ग्रामीण	0.67
	योग	4.05
1.1	मत्स्य पालन अंतर्गत जलक्षेत्र	
	अ- सिंचाई	3.33
	ब- ग्रामीण	0.64
	योग	3.97
	नदियों एवं सहायक नदियों की लम्बाई किलोमीटर	17088
2	मत्स्य बीज उत्पादन के स्रोत	
2.1	हैचरी संख्या	70
2.1.1	विभाग	36
2.1.2	मत्स्य महासंघ	05
2.1.3	निजी क्षेत्र	29
2.2	संवर्धन जलक्षेत्र (हेक्टर)	
2.2.1	विभागीय मत्स्यबीज प्रक्षेत्र	120 119.92
2.2.2	विभाग अंतर्गत मौसमी संवर्धन जलक्षेत्र	33 41.00
2.2.3	मत्स्य महासंघ के मत्स्यबीज प्रक्षेत्र	5 22.50
	मत्स्य महासंघ का संवर्धन जलक्षेत्र	197 394.36
2.2.4	निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज प्रक्षेत्र/पोखर	333 387.13
3	मत्स्यबीज की आवश्यकता स्टेण्डर्ड फ्राई (करोड़)	107.00
3.1	मत्स्यबीज की पूर्ति स्टेण्डर्ड फ्राई (करोड़)	111.13



4	मत्स्यबीज उत्पादन	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि (लाख)	प्रतिशत
	अ- स्पॉन	48000.00	44324.00	92.34
	ब- स्टेण्डर्ड फ्राई	10700.00	11113.26	103.86
5	मत्स्यबीज संचयन(स्टेण्डर्ड फ्राई)	9214.00	10627	115.34
6	मत्स्योत्पादन (टन)	1,30,000	1,38,693.91	106.69
7	मत्स्य उत्पादकता (कि. ग्रा./हेक्टर)			
	अ- जलाशयों से			101
	ब- ग्रामीण तालाबों से			1798

8 मछुआ सहकारिता

प्रदेश में वर्ष 2016-17 तक कुल 2,290 मछुआ सहकारी समितियाँ, सदस्य संख्या-85,731

क्र.	वर्ग	मछुआ सहकारी समितियाँ	
		समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य	1,497	62,036
2	अनुसूचित जनजाति	618	18,668
3	अनुसूचित जाति	175	5,027
	योग	2,290	85,731

उपरोक्त समितियों में महिला समिति 45 सदस्य संख्या 1565 शामिल है ।

9	रोजगार सृजन (लाख)	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि (लाख)	प्रतिशत
	मानव दिवस	230	222.89	96.90
10	विभागीय आय	86.94	323.842	372.48
11	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को मत्स्य पालन से आय			
11.1	ग्रामीण तालाबों से		81.357	
11.2	सिंचाई जलाशयों से		96.28	



12. मछुओं का दुर्घटना बीमा वर्ष 2016-17

	वर्ग	लक्ष्य संख्या	पुरुष वर्ग	महिला वर्ग	कुल योग
अ	अनुसूचित जनजाति	46,397	30,563	12,773	43,336
ब	अनुसूचित जाति	12,668	12,416	51,26	17,542
स	सामान्य	1,21,923	88,730	35,325	1,2,4055
	योग	1,80,988	3,11,707	53,224	1,8,4933

13. प्रशिक्षण -

विभागीय मछुआ प्रशिक्षण

	वर्ग	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या	प्रतिशत
अ	अनुसूचित जनजाति	1,331	1,158	87
ब	अनुसूचित जाति	5,86	4,82	82
स	सामान्य	2,689	2,408	90
	योग	4,606	4,048	88

14. नवीन रूप से विकसित जलक्षेत्र

क्र.	विवरण	ग्रामीण	निजी	सिंचाई	योग
1	तालाब (संख्या)	587	40	58	685
2	जलक्षेत्र (हैक्टर)	1107.24	12.33	4699.78	5819.35

15. मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता (अनुदान रु. लाख में) (अ) विभाग

क्र.	वर्ग	आवंटन	विमुक्त राशि	व्यय	हितग्राही संख्या
1	सामान्य	49.10	44.19	41.98	1326
2	अनुसूचित जनजाति मत्स्यपालक	25.90	23.30	22.12	548
3	अनुसूचित जाति मत्स्यपालक	7.85	7.07	5.85	281
	योग	82.85	74.56	69.95	2155



(ब) मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (वर्ष 2016-17)

क्र.	विवरण	ऋण			अनुदान		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लाभांवित हितग्राही	लक्ष्य	उपलब्धि	लाभांवित हितग्राही
1	मत्स्य कृषक	1036.11	274.37	471	222.80	151.95	272

16. मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता

क्र.	वर्ग	अनुदान (रु.लाख)				
		प्रावधान	विमुक्त राशि	व्यय	समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य	81.42	73.28	71.35	274	6850
2	अनुसूचित जनजाति	23.00	20.70	19.05	99	2475
3	अनुसूचित जाति	6.85	6.16	4.68	25	625
	योग	111.27	100.14	95.08	398	9680

17. बचत-सह-राहत योजना-

बचत-सह-राहत योजना में वर्ष 2016-17 के लिये समितियों के सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु उनके खाते के लिए जमा राशि रुपये 351.88 लाख का प्रावधान रखा गया । वर्ष 2016-17 में निम्नानुसार हितग्राही लाभान्वित हुए ।

वर्ग	हितग्राही संख्या	भुगतान की गई राशि (रुपये)
सामान्य	14125	254.26
अनुसूचित जन जाति	2237	40.26
अनुसूचित जाति	76	1.38
योग	16438	295.90



18. सिंचाई / ग्रामीण तालाब पट्टा आवंटन

	विवरण	सिंचाई जलाशय	ग्रामीण तालाब
अ	तालाब (संख्या)	108	639
ब	जलक्षेत्र (हेक्टेयर)	7124.97	1220.40
स	हितग्राही (संख्या)	2811	2776

19. आदर्श मत्स्य आहार योजना -

ग्रामीण तालाबों की मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु वर्ष 2012-13 से आदर्श मत्स्य आहार योजना आरंभ की गई। योजना में 1.00 हेक्टेयर तक के तालाब हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर रुपये 45 हजार का मत्स्य आहार मत्स्य कृषक को उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2016-17 में रुपये 35.70 लाख का मत्स्य आहार मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया गया है।

20. विशेष केन्द्रीय सहायता -

आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता अर्न्तगत प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकास खण्डों में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिये योजना संचालित की गई है, जिसमें शतप्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है, मत्स्य आहार योजना अर्न्तगत मत्स्योत्पादन में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 148 हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाबों में रुपये 74.00 लाख का मत्स्य आहार उपलब्ध कराकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मत्स्य पालकों को केजकल्चर, मत्स्य आहार, जाल वितरण, मछुआ प्रशिक्षण, हॉर्कर्स कॉर्नर (छोटे बाजार) हेतु राशि रुपये 519.806 के प्रवधान के विपक्ष में रुपये 509.38 लाख का व्यय किया गया।



भाग - दो
बजट सिंहावलोकन
वर्ष 2016-17

(रूपये लाख में)

घटक	अनुदान		बजट प्रावधान		व्यय	
			आयोजनेत्तर	आयोजना	आयोजनेत्तर	आयोजना
1	2		3	4	5	6
सामान्य क्षेत्र	16	मछली पालन	4414.75	3,988.70	3337.43	2550.68
		डिक्री धन भारित	3.00	0.00	2.62	0.00
	74	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	426.06	0	272.83
		योग	4414.75	4414.76	3337.43	2823.51
आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	0	1055.80	0	777.84
	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	145.92	0	84.16
		योग	0	1201.72	0	862.00
	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
	अ	बुंदेलखण्ड क्षेत्र विकास सामान्य	0	71.02	0	70.80
	ब	बुंदेलखण्ड क्षेत्र विकास अनुसूचित जाति उपयोगना	0	0.02	0	0
		योग	0	71.04	0	70.80
विशेष घटक योजना	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	0	212.15	0	83.86
	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	48.78	0	26.60
		योग	0	260.93	0	110.46
		कुल योग	4414.75	5948.45	3337.43	3866.77
		महायोग	4414.75	5948.45	3337.43	3866.77
		डिक्री धन का भुगतान	3.00	0	2.62	0



भाग - दो
योजनावार लक्ष्य, बजट प्रावधान एवं व्यय
वर्ष 2016-17

(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7.
अ-	2405 राज्य योजनाएं					
1	निर्देशन और प्रशासन	-		15.00	19.74	19.02
2	जलाशय तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. (-) 41.51	टन	130000	198.64	137.27	134.36
3	मत्स्यबीज उत्पादन (स्टैण्डर्ड फ्राई) बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. (-) 289.43	लाख	10700	1041.81	641.96	633.82
4	विस्तार और प्रशिक्षण	संख्या		20.00	18.00	17.68
5	विस्तार और प्रशिक्षण (मछुआ प्रशिक्षण)	संख्या	4606	127.84	115.06	112.35
6	मत्स्यालय	संख्या		20.00	18.00	14.77
7	मत्स्य पालन प्रसार	संख्या	2762	82.85	74.56	69.95
8	मछुआ सहकारिता / अनुदान	संख्या	556	111.27	100.14	95.08
9	सूचना एवं प्रौद्योगिकी			12.00	10.80	9.85
10	फिसरमेन क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	संख्या	10000	15.00	13.50	9.90
11	आदर्श मत्स्य आहार योजना			40.00	36.00	35.99
12	पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय जबलपुर			1.00	0.90	0
13	बुंदेलखण्ड पैकेज			71.04	71.04	70.80
14	सबमिशन रेनफेण्डरेरिया डेवलपमेंट			0.01	0.01	0
	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (राज्य आयोजना)					
15	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण					
अ.	(स्थापना)	जलक्षेत्र	1000	55.00	55.00	54.25
ब.	विकासात्मक			121.91	25.98	25.98
16	मछुआ आवास	संख्या	500	45.75	145.75	45.75
17	मछुआ दुर्घटना बीमा	संख्या	180988	20.00	20.00	18.81



भाग-तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) राज्य योजना-

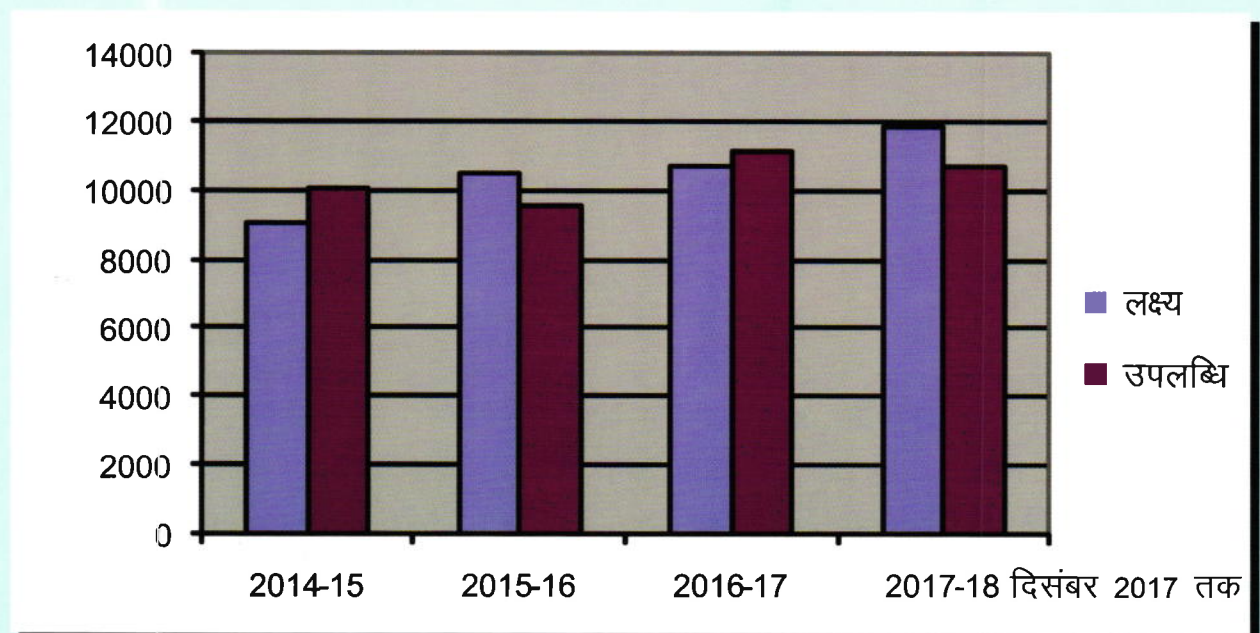
1. मत्स्यबीज उत्पादन-

मछली बीज मत्स्यपालन की प्रथम आवश्यकता है । राज्य में मत्स्य बीज की आवश्यकता वर्ष 2016-17 की पूर्ति के लिये 10700 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित थे, इसके विरुद्ध 11113.26 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ (103%) माह दिसंबर 2017 तक 10664.91 लाख मत्स्य बीज उत्पादन हुआ ।

विगत तीन वर्षों में मत्स्य बीज उत्पादन की उपलब्धियाँ निम्नानुसार रही-

(स्टेण्डर्ड फ्राई लाख)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2014-15	9080	10018.82	110.34
2015-16	10500	9520.90	90.68
2016-17	10700	11113.26	103
2017-18 (दिसंबर 17तक)	11870	10664.91	89.85

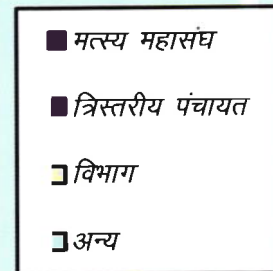
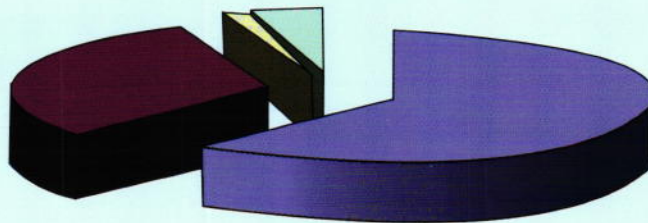




2. सिंचाई जलाशयों में मत्स्य विकास :-

योजना के तहत नदियों एवं जलाशयों के विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं । राज्य के उपलब्ध जलक्षेत्र का 82.22 प्रतिशत भाग सिंचाई जलाशयों का मत्स्य पालन अंतर्गत है, जिनका विकास एवं प्रबंधन निम्नानुसार संस्थाओं के पास है ।

संस्था	जलक्षेत्र हैक्टर
मत्स्य महासंघ	212861
त्रि-स्तरीय पंचायत	105862
विभाग	4777
अन्य	14200



3. राज्य के तालाब/जलाशयों में मत्स्यबीज संचयन :-

वर्ष 2016-17 में मध्यप्रदेश के लिए 9214 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई/मत्स्य बीज संचयन के लक्ष्य थे, इसके विरुद्ध 10627.07 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का संचयन किया गया, जो लक्ष्य का 115.34 प्रतिशत रहा । माह दिसंबर 2017 तक 11575.88 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई के विपक्ष में 9577.29 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई/मत्स्य बीज संचयन का कार्य किया गया, जो कि उपलब्धि का 82.73 प्रतिशत ।



(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7.
18	बचत सह राहत योजना	संख्या	19549	175.94	147.95	147.95
19	राष्ट्रीय कृषि विकाश योजना			594.00	290.66	211.63
	योग 2405 -			2769.06	1942.32	1727.94
ब.	विकासात्मक			121.91	25.98	25.98
16	मछुआ आवास	संख्या	500	45.75	145.75	45.75
17	मछुआ दुर्घटना बीमा	संख्या	180988	20.00	20.00	18.81
18	बचत सह राहत योजना	संख्या	19549	175.94	147.95	147.95
19	राष्ट्रीय कृषि विकाश योजना			594.00	290.66	211.63
	योग 2405 -			2769.06	1942.32	1727.94
	2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा					
20	4167 व्यवहारिक अनुसंधान	-	-	5.00	4.50	4.32
	4405-मीन उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय मत्स्यबीज उत्पादन					
21	मत्स्यबीज उत्पादन	-	-	0	0	0
22	विस्तार और प्रशिक्षण			20.00	20.00	20.00
	राज्य आयोजना का योग -	-	-	2794.06	1966.82	1752.26
	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (केन्द्रांश)	-	-	-	-	-
23.1	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अनुदान (पुनर्वेधिकृत)	-	-	121.89	25.98	25.98
23.2	मछुआ आवास (पुनर्वेधिकृत)	संख्या	500	45.75	145.75	45.75
23.3	बचत-सह-राहत (पुनर्वेधिकृत)	संख्या	17549	175.94	147.95	147.94
23.4	राष्ट्रीय कृषि विकाश योजना			891.00	436.00	317.46
23.5	नील कान्ति योजना			1400.00	1400.00	1068.00
	योग -			2634.58	2155.68	1605.13
	विशेष केन्द्रीय सहायता -					
23.	एकीकृत आधिवासी विकास परियोजना			519.81	519.81	509.38
	महायोग -			5948.45	4642.31	3866.77



भाग - दो
बजट सिंहावलोकन
वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक)

(रूपये लाख में)

घटक	अनुदान		बजट प्रावधान				व्यय	
			आयोजनेत्तर	विमुक्त राशि	आयोजना	विमुक्त राशि	आयोजनेत्तर	आयोजना
सामान्य क्षेत्र	16	मछली पालन	448268	447783	2809.59	2606.21	2925.28	801.32
	53	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			219.01	197.11		114.94
	61	बुन्देल खण्ड पैकिज			0.02	0.02		0
		योग			3028.62	2803.34		916.26
आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	16	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना			858.27	801.17		148.25
	53	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			92.57	83.31		46.91
	33	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना			490.61	490.61		121.15
		योग			1,441.45	1375.09		316.31
अनुसूचित जाति उप योजना	16	अनुसूचित जाति उप योजना			617.87	572.17		345.85
	53	अनुसूचित जाति उप योजना अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			29.09	26.18		13.26
	61	बुन्देल खण्ड पैकेज			0.02	0.02		0
		योग			646.98	598.37		359.11
		महायोग :	448268	447783	5,117.05	4776.80	2925.28	1,591.68



भाग - दो
योजनावार लक्ष्य, बजट प्रावधान एवं व्यय
वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक)

(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7.
अ-	2405 राज्य योजनाएं					
1	निर्देशन और प्रशासन	-		15.00	14.90	10.75
2	जलाशय तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. (-) 16.79	टन	155000	198.00	182.25	113.73
3	मत्स्यबीज उत्पादन (स्टेण्डर्ड फ्राई) बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. (-) 154.00	लाख	11870	1101.15	1053.70	554.31
4	विस्तार और प्रशिक्षण	संख्या		21.52	21.39	5.55
5	विस्तार और प्रशिक्षण (मछुआ प्रशिक्षण)	संख्या	5642	133.34	120.01	61.14
6	मत्स्यालय	संख्या		20.00	19.00	4.25
7	मत्स्य पालन प्रसार	संख्या	2815	81.25	73.12	38.06
8	मछुआ सहकारिता / अनुदान	संख्या		106.05	95.44	61.93
9	सूचना एवं प्रौद्योगिकी			11.01	9.91	8.13
10	फिशरमेन क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	संख्या	10000	15.00	15.00	7.05
11	आदर्श मत्स्य आहार योजना			40.00	36.00	24.90
12	पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय जबलपुर			1.00	0.90	0
13	बुंदेलखण्ड पैकेज			0.04	0.04	0
14	सबमिशन रेनफेण्डरेरिया डेवलपमेंट			0.01	0.01	0
	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (राज्य आयोजना)					
15	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण			-	-	-
अ.	(स्थापना)	जलक्षेत्र		20.00	18.00	13.98
ब.	विकासात्मक		1000	0.03	0.03	0
16	मछुआ आवास	संख्या		0.01	0.01	0
17	मछुआ दुर्घटना बीमा	संख्या	184933	22.00	22.00	2.66



(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7.
18	बचत सह राहत योजना	संख्या		0.03	0.03	0
19	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			314.00	300.80	91.41
20	नील क्रांति योजना			812.39	731.16	127.44
	योग 2405			2911.83	2713.70	1125.29
21	2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा					
	4167 व्यवहारिक अनुसंधान	-		5.00	4.55	1.97
22	4405-मीन उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय					
अ.	मत्स्यबीज उत्पादन			0	0	0
ब.	विस्तार और प्रशिक्षण	-		20.00	20.00	15.00
	राज्य आयोजना योग -	-		2936.83	2738.25	1142.26
	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (केन्द्रांश)	-				
23.1	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अनुदान (पुनर्वेधिकृत)	-		-	-	-
23.2	मछुआ आवास (पुनर्वेधिकृत)	संख्या		-	-	-
23.3	बचत-सह-राहत (पुनर्वेधिकृत)	संख्या		-	-	-
23.4	राष्ट्रीय कृषि विकाश योजना			471.00	451.20	137.11
23.5	नील क्रांति योजना			1218.61	1096.74	191.16
	योग -			1689.61	1547.94	328.16
	विशेष केन्द्रीय सहायता -					
24	एकीकृत आधिवासी विकास परियोजना			490.61	490.61	121.15
	महायोग -			5117.05	4776.80	1591.68



विगत वर्ष में राज्य के पोखर/तालाब/जलाशय में निम्नानुसार मत्स्यबीज संचयन किया गया:-

(स्टेण्डर्ड फ्राई लाख)

वर्ष	लक्ष्य	संचित मत्स्यबीज
2015-16	9300	9025-60
2016-17	9214	10627.07
2017-18 (दिसंबर 17 तक)	11575.88	9577.29

4. राज्य में मत्स्योत्पादन-

वर्ष 2016-2017 मध्यप्रदेश के लिए 1,30,000 टन के लक्ष्य थे, जिसके विरुद्ध 1,38,693.91 टन का मत्स्योत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 106.68 प्रतिशत रहा। विगत वर्ष में राज्य के पोखर/तालाब/जलाशय से मत्स्योत्पादन निम्नानुसार रहा। वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 2017 तक मत्स्य उत्पादन 86225.90 टन हुआ, जो उपलब्धि का 55.63 प्रतिशत है।

(मत्स्योत्पादन टन)

वर्ष	लक्ष्य	मत्स्योत्पादन उपलब्धि
2015-16	122000	115016.56
2016-17	130000	138693.91
2017-18 (दिसंबर 17 तक)	155000	86225.90

वर्ष 2016-17 में ग्रामीण तालाब/जलाशयों से प्रति हेक्टर मत्स्योत्पादकता क्रमशः 1798 तथा 101 किलोग्राम प्रति हेक्टर है।

विगत वर्ष में प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता निम्नानुसार रही है :-

वर्ष	ग्रामीण तालाब से	सिंचाई जलाशय से
2015-16	1414	107
2016-17	1798	101
2017-18 (दिसंबर 17 तक)	-	उत्पादकता का आकलन वर्षान्त में किया जाता है।



5. . विभागीय आय :-

वर्ष 2016-17 में विभागीय आय रुपये 6,70,36,725 की हुई। विगत तीन वर्षों में प्राप्त आय निम्नानुसार रही :-

(आय रुपये लाख में)

क्र.	मद	अर्जित आय		
		2015-16	2016-17	2017-18 दिसंबर 2017 तक
1	मत्स्यबीज एवं मत्स्य विक्रय	4,44,32,101	4,21,88,126	4,28,78,416
2	लाइसेंस फीस एवं अवैधानिक रूप से पकड़े गये प्रकरणों, जुर्माना आदि से प्राप्त आय	12,38,202	11,82,858	4,52,803
3	सेवा एवं सेवा शुल्क	14,000	9,865	3,39,200
4	किराया	9,55,560	1,09,060	3,51,958
5	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) से प्राप्त अनुदान	22,780	0	0
6	विविध	2,53,23,113	2,35,46,816	93,87,478
	योग	7,19,85,756	6,70,36,725	5,34,09,855

6. रोजगार सृजन मानव-दिवस (लाख)-

वर्ष 2016-17 में रोजगार सृजन मानव-दिवस अन्तर्गत 222.89 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया। दिसम्बर 2017 तक 152.69 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजन की उपलब्धि अर्जित की गई।

विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा निम्नानुसार रोजगार सृजन किया गया:-

(संख्या लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2014-15	144	209
2015-16	200	211.18
2016-17	230	222.89
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	230	152.69



7. मत्स्य सहकारिता -

वर्ष 2017-18 के माह दिसम्बर 2017 तक 2332 समिति जिनकी सदस्य संख्या 86720 है। जबकि वर्ष 2016-17 में 2290 मछुआ सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 85,731 थी, माह दिसम्बर 2017 तक 42 समितियाँ जिसकी सदस्य संख्या 1320 नवीन रूप से पंजीकृत की गई।

विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार रही :-

वर्ष	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2014-15	2,108	79,517
2015-16	2,185	81,783
2016-17	2290	85,731
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	2332	86,720

पांच हेक्टर से बड़े जलाशयों के पट्टे मछुआ सहकारी समितियों को आवंटित किये जाते हैं। समितियों को मत्स्याखेट उपकरणों, जलाशयों की पट्टा राशि, मछली बीज विक्रय आदि प्रयोजनों हेतु शासन की ओर से ऋण एवं अनुदान मध्यप्रदेश मछुआ सहकारी समितियां उधार एवं सहायकी नियम 1972 के तहत उपलब्ध कराया जाता है ।

अ- विभागीय जलाशयों में समितियों द्वारा मत्स्याखेट -

विभाग के पास 4,777 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 20 जलाशयों में मछुआ सहकारी समितियों द्वारा रायल्टी आ धार पर मत्स्याखेट कार्य किया गया । उनके द्वारा 167.09 टन मत्स्योत्पादन किया गया जो विभागीय जलाशयों से उत्पादित कुल (278.48 टन) का 60 प्रतिशत समितियों के माध्यम से हुआ मत्स्य पालन विभाग सहकारिता को प्राथमिकता दे रहा है ।

ब- मछुआ सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता :-

वर्ष 2016-17 में मछुआ सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान हेतु रुपये 111.27 लाख का आवंटन किया गया है। जिसके विपक्ष में रुपये 95.08 लाख का व्यय किया गया । यह आवंटित राशि का 85.44 प्रतिशत है । विगत तीन वर्षों में मछुआ समितियों को अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया:-



विगत तीन वर्षों में मछुआ समितियों को अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया:-

(रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटित एवं व्यय की गई राशि		लाभान्वित समितियाँ	
	आवंटन	व्यय	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2014-15	107.85	92.24	519	12,975
2015-16	111.30	102.03	483	12,075
2016-17	111.27	95.08	398	99,50
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	106.05	61.93	319	7975

स. सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मत्स्य पालकों को अनुदान:-

मछुआ सहकारी समितियों के अतिरिक्त विभाग द्वारा निजी मत्स्य पालकों को भी तालाब मरम्मत, पट्टा राशि, मत्स्यबीज क्रय तथा नाव जाल क्रय हेतु अनुदान देने का प्रावधान है। वर्ष 2016-17 में रुपये 82.85 लाख का प्रावधान है जिसके विरुद्ध अनुदान रुपये 69.95 लाख मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया।

जो आवंटित राशि का 84.42 प्रतिशत रहा।

विगत तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये अनुदान की जानकारी निम्नानुसार है :-

(रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटित राशि एवं व्यय की गई राशि		लाभान्वित हितग्राही संख्या
	लक्ष्य	उपलब्धि	
2014-15	112.48	99.82	2761
2015-16	79.29	72.93	2712
2016-17	82.85	69.95	2155
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	81.25	38.06	2089



द. मछुआ सहकारी समितियों को जलाशय आवंटन

वर्ष 2016-17 में 72 जलाशय जिनका जलक्षेत्र 6238.34 हैक्टर 70 समिति के 2390 सदस्यों को दिया गया था। जबकि वर्ष 2017-18 के माह दिसंबर 17 तक 18 जलाशय जिनका जलक्षेत्र 790 हैक्टर है, को 17 समिति के 703 सदस्यों को सतत् आवंटित किया गया। विगत तीन वर्षों में समितियों के पास जो जलाशय सतत् रहे उनकी जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	जलाशय		लाभान्वित समितियाँ	
	संख्या	जलक्षेत्र (हैक्टर)	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2014-15	1,163	60,728	1,134	45,436
2015-16	1,479	71,663	1,192	47,018
2016-17	1,576	80,115	1,280	50,247
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	1,587	81,655	1,289	50,472

वर्ष 2016-17 में 886.83 हैक्टर जलक्षेत्र के 36 जलाशय 36 मछुआ समूहों 421 सदस्यों को आवंटित कराए गए, इसी प्रकार वर्ष 2016-17 (दिसम्बर, 2017) तक की स्थिति में 228.45 हैक्टर जलक्षेत्र के 113 जलाशयों के पट्टे 124 सदस्यों के 13 मछुआ समूहों को आवंटित किये गये।

गत तीन वर्षों में मछुआ समूहों के पास जो जलाशय सतत् रहे हैं उनकी जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	जलाशय		लाभान्वित समूह	
	संख्या	जलक्षेत्र हैक्टर	समूह संख्या	सदस्य संख्या
2014-15	1,304	22,086	1,264	11,416
2015-16	1,273	20,546	1,273	12,119
2016-17	1,322	21,537	1,320	12,312
2017-18 (दिसम्बर 17 तक)	1,339	21,467	1,335	9,887



8. प्रशिक्षण -

विभाग के द्वारा मछुआरों, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मछुआ प्रशिक्षण निः शुल्क दिया जाता है । वर्ष 2016-17 में 4048 मछुओं को प्रशिक्षण दिया गया था । वर्ष 2017-18 से विभाग द्वारा मत्स्यपालन का 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है (5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय अध्ययन भ्रमण) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का वास्तविक किराया प्रति मछुआ राशि रुपये 2775 व्यय हेतु सीमांकित है। एवं रुपये 150/प्रतिदिन प्रशिक्षण वृत्ति मय क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में प्रदान की जाती है। माह दिसंबर 2017 तक 2748 मछुओं को प्रशिक्षण दिया गया।

गत तीन वर्षों में प्रशिक्षित मछुओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या
2014-15	7,229	7,040
2015-16	5,942	5,776
2016-17	4,606	4,048
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	5,642	2,748

9. मत्स्यालय-

रंगीन मछलियों के प्रदर्शनार्थ भोपाल में मत्स्यालय की स्थापना 31 मई 1977 को की गई। वर्ष 2016-17 में भोपाल स्थित मछली घर में शोभायमान मछलियों एवं आर्थिक महत्व की मछलियों को देखने हेतु 37161 दर्शक आये । इससे विभाग को रुपये 185805/- (रुपये एक लाख पच्चासी हजार आठ सौ पांच) मात्र का राजस्व प्राप्त हुआ। गत तीन वर्षों में वर्षवार दर्शकों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	दर्शको की संख्या	प्राप्त राजस्व (रु.में)
2014-15	1,02,749	5,13,745
2015-16	17,741	1,32,965
2016-17	37,161	1,85,805
2017-18 (दिसंबर 2017 तक)	27,744	1,38,720



मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3-6/07/36 भोपाल, दिनांक 03-07-2007 से मत्स्यालय में आने वाले दर्शकों से रुपये 5/- प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क लिया जा रहा है । वर्ष 2016-17 में टिकिट बिक्री से रुपये 185805/- की आय प्राप्त हुई। माह मार्च 17 अन्त तक राशि रुपये 1,85,195 कोषालय में जमा कराई गई । इस प्रकार दिसम्बर 2017 के अंत तक कुल राशि रुपये 1,38,720/-की आय हुई । इसमें से दिसम्बर 2017 तक कोषालय में रुपये 1,35,515/ जमा कराई गई ।



10. अनुसंधान-

प्रदेश में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के विभिन्न विषयों पर व्यवहारिक अनुसंधान करने के लिये भोपाल में एक प्रादेशिक अनुसंधान शाला कार्यरत है । इस अनुसंधान शाला में मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न कठिनाईयों पर तथा नये कार्यों पर अनुसंधान किया जाता है तथा ऐसे विषयों का अध्ययन किया जाता है, जो मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास को और अधिक व्यवहारिक बनाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सके ।



वर्ष 2016-17 में निम्नानुसार अनुसंधान / कार्यक्रम संपादित किये गए:-

1. हाई वैल्यू शोभायमान मीन के उत्पादन की तकनीकी का विकास एवं गौरामी,टाइगर फाइटर बार्ब एंजिल फाइटर एवं पैरेट आदि मछलियों का प्रदेश में पहली बार शासकीय क्षेत्र में प्रजनन कराया गया ।
2. लाइव फिश फीड जैसे - इन्फोसूरिया रोटीफर्स डैफनिया आदि के उत्पादन हेतु देशी तकनीक का विकास ।
3. उपलब्ध स्वदेशी लो -कास्ट उचित गुणवत्ता एवं प्रोटीन पेलेटेड फिश फीड की तकनीकी का विकास ।
4. कन्ट्रोल कन्डीशन में वर्ष भर रंगीन मछलियों के मत्स्यबीज उत्पादन की टेक्नोलॉजी का विकास ।
5. रंगीन मछलियों में लोकल एविलेबल फिश फीड इन्ग्रेडियन्ट के माध्यम से केरोटिनायडस प्रदान कर रंगों में परिवर्तन एवं निखार की तकनीकी का विकास ।
6. जलीय गुणवत्ता के मानको का प्रादेशिक स्तर पर मानको का निर्धारण ।
7. कृषि विज्ञान केन्द्र देवास में एन .एफ.डी.बी. हैदराबाद के सहयोग से पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग ।
8. एम0पी0ई0डी0ए0 भोपाल के द्वारा जबलपुर में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग ।
9. एम0पी0ई0डी0ए0 भोपाल के द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग
10. कार्यालय में विभिन्न स्कूल, कॉलेजों, एवं विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों को प्रयोगशाला एवं रंगीन मछली पालन एवं मत्स्यबीज उत्पादन सम्बंधी विषयों में सहयोगात्मक मार्गदर्शन ।

अ. मांगुर मत्स्यबीज उत्पादन-

उपर्युक्त कार्यक्रम अंतर्गत 40,000 नग मांगुर मत्स्यबीज फाई का उत्पादन किया गया, तथा निजी मत्स्य पालकों को विक्रय कर रुपये 12,000/- (बारह हजार) चालान से जमा कराये गये।

ब. शोभायमान मीन का उत्पादन एवं संवर्धन-

वर्ष 2016-17 में कार्यक्रम अंतर्गत 8,240 नग विभिन्न प्रजातियों की शोभायमान मछलियों का उत्पादन किया गया एवं 1075 नग शोभायमान मीन की बिक्री कर राशि रु0 5500/- जमा कराए गए।



प्रदेश में शोभायमान मछलियों का उत्पादन -

यह योजना ग्रामीण अंचलो के लिये बहुत उपयोगी है। प्रदेश में कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित होने की काफी संभावना है। योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूहो एवं समितियों द्वारा आकर्षक रंगीन मछलियों का उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार कोच्चि (एम.पी.ई.डी.ए.) द्वारा इकाई लागत अधिकतम रु. 40,0000 के ऋण की पात्रता 25 प्रतिशत अधिकतम एवं रु. 10,0000 अनुदान का प्रावधान है। आवेदन प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन आवेदन एम.पी.ई.डी.ए. की वेबसाईट में उपलब्ध है।





अनुसूचित जाति (विशेष घटक योजना) बचत प्रावधान व्यय एवं भौतिक उपलब्धियाँ
उपलब्धियाँ वर्ष 2014-15 एवं 2015-16

क्र.	विवरण योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2014-15				वर्ष 2015-16			
			वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि	
				व्यय (रु. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि	बजट प्रावधान (रु. लाख)	व्यय (रु. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्यपालन प्रसार अनु. जाति मत्स्य पालकों को सहायता	संख्या	10.70	8.30	357	360	7.45	6.49	248	316
2	जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास	टन	15.77	15.54	15000	11944	9.58	7.77	18300	12764
3	मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई	संख्या	62.19	56.77	1290	845	84.62	57.75	1500	833
4	विस्तार और प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओं का प्रशिक्षण)	संख्या	7.78	6.92	622	539	7.81	7.25	625	741
5	मछुआ सहकारी समितियों का गठन एवं सहायता	समिति संख्या	5.99	4.35	30	41	6.52	5.49	33	25
		सदस्य संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		तालाब जलक्षेत्र	5.10	4.11	100	147	8.44	4.65	100	99.92
7	मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा	संख्या	2.30	1.27	13793	12544	1.28	1.28	12623	12268
8	मछुआ आवास (वर्ष 2004-05 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	0	0	0	0.00	15.00	40	40
9	बचत-सह-राहत (वर्ष 2002-03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	3.75	2.14	937	812	5.39	4.70	599	522
10	विस्तार और प्रशिक्षण (वर्ष 2002-03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	संख्या	110.00	106.40	0	0	48.00	27.25	123	123
	योग		223.58	205.80	0	0	192.95	146.98	223.42	134.73



अनुसूचित जाति (विशेष घटक योजना) बचत प्रावधान व्यय एवं भौतिक उपलब्धियाँ
वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 दिसम्बर 2017 तक

क्र.	विवरण योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2016-17				वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)			
			वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि	
			लक्ष्य	व्यय (रु. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि	बजट प्रावधान (रु. लाख)	व्यय (रु. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्यपालन प्रसार अनु. जाति मत्स्य पालकों को सहायता	संख्या	7.85	5.85	262	281	7.90	3.42	263	174
2	जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास	टन	12.93	9.78	19500	17686.63	7.50	4.04	23250	8561.87
3	मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई	संख्या	95.71	54.25	1575	1008.62	158.40	59.52	1725	776.80
4	विस्तार और प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओं का प्रशिक्षण)	संख्या	16.27	13.37	586	482	14.43	6.90	520	309
5	मछुआ सहकारी समितियों का गठन एवं सहायता	समिति संख्या	6.85	4.68	34	25	6.75	2.94	33	14
		सदस्य संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0
6	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0
		तालाब जलक्षेत्र	17.81	2.70	100	105.07	0.01	0	100	54.90
7	मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा	संख्या	1.57	1.57	12668	17542	2.00	0	17542	0
8	मछुआ आवास (वर्ष 2004-05 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	1.50	1.50	0	2	0	0	0	0
9	बचत-सह-राहत (वर्ष 2002-03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	15.44	1.38	858	76	0.01	0	450	0
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	संख्या	85.00	15.38	0	274	125.00	7.94	0	18
	योग		260.93	110.46	0	0	322.00	84.76	0	0



41+52 आदिवासी उपयोजना
वर्ष 2014-15 एवं 2015-16

क्र.	विवरण योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2014-15				वर्ष 2015-16			
			वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि	
				व्यय (रु. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि	बजट प्रावधान (रु. लाख)	व्यय (रु. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्यपालन प्रसार अनु. जनजाति मत्स्य पालकों को सहायता	संख्या	41.49	35.80	1383	1103	26.79	25.02	893	904
2	जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास	टन	70.28	42.36	24000	36302	66.97	41.68	29300	52910.8 9
3	मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई	संख्या	231.02	172.26	2065	5153	264.3	215.54	2400	5936.55
4	विस्तार और प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओं का प्रशिक्षण)	संख्या	29.51	29.26	2361	2202	24.30	23.28	1944	1851
5	मछुआ सहकारी समितियों का गठन एवं सहायता	संख्या	23.41	19.30	117	119	27.48	23.72	137	117
6	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पट्टा आवंटन	जलक्षेत्र हैक्टर	14.30	13.16	300	376	12.53	9.70	200	358.87
7	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	संख्या	5.00	4.38	34483	43155	4.38	4.38	43195	46397
8	मछुआ आवास (वर्ष 2004-05 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
9	बचत-सह-राहत (वर्ष 2002-03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	20.88	12.41	5220	3276	34.97	14.65	3868	1628
10	विस्तार और प्रशिक्षण (वर्ष 2002-03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
11	प्रगहन मात्स्यकीय		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	संख्या	155.00	144.65	0.00	0.00	64	63.94	282	282
	योग		654.67	524.45	0.00	0.00	525.72	421.91	0	0



41+52 आदिवासी उपयोजना
वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	विवरण योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2016-17				वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)			
			वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि		वित्तीय उपलब्धि		भौतिक उपलब्धि	
			बजट (रु. लाख)	व्यय (रु. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि	बजट प्रावधान (रु. लाख)	व्यय (रु. लाख)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्यपालन प्रसार अनु. जनजाति मत्स्य पालकों को सहायता	संख्या	25.90	22.12	863	548	25.90	11.95	863	738
2	जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास	टन	41.38	24.01	31200	64483.91	18.00	10.53	37200	41708.32
3	मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई	संख्या	315.64	157.50	2520	6756.23	294.75	127.92	2760	6783.96
4	विस्तार और प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण (मछुओं का प्रशिक्षण)	संख्या	36.94	32.15	1331	1158	38.91	18.22	1402	894
5	मछुआ सहकारी/अनुदान	संख्या	23.00	19.05	115	99	27.75	16.74	139	88
6	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पट्टा आवंटन	जलक्षेत्र हैक्टर	60.08	10.84	200	432.93	0.01	0	200	156.55
7	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	संख्या	3.69	3.69	46397	43336	4.00	0	43336	0
8	मछुआ आवास (वर्ष 2004-05 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0
9	बचत-सह-राहत (वर्ष 2002-03 से योजना प्रारम्भ)	संख्या	60.29	40.25	4182	2237	0.01	0	1980	0
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	संख्या	100.00	43.01	0	745	160.00	9.80	0	27
11.	विशेष केन्द्रीय सहायता एकीकृत आदिवासी विकाश परियोजना		519.81	509.38	0	2176	480.19	121.15	0	0
	योग		1186.73	862.00	0	0	1049.52	316.31	0	0



(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

ताजा जल-जल कृषि विकास-
मत्स्य कृषक विकास अभिकरण-

प्रदेश में स्थापित मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों के माध्यम से संचालित योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में अर्जित प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

तालाब आवंटन-

वर्ष	लक्ष्य जलक्षेत्र (हैक्टर)	उपलब्धि जलक्षेत्र (हैक्टर)	प्रतिशत	तालाब संख्या	हितग्राही संख्या
2014-15	1,250	1186.90	94.95	559	2372
2015-16	1,000	952.22	95.22	464	2142
2016-17	1,000	1107.24	122.04	587	2518
2017-18 (दिसंबर 2017 तक)	1,000	511.93	51.19	306	1050

गत तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	मत्स्यबीज संचयन (स्टेण्डर्ड फ्राई लाख)		मत्स्योत्पादन (टन)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2014-2015	4,500	4,073	62,000	62,262
2015-2016	4,600	4,240	68,000	62,595
2016-2017	4,600	5,178	68,000	90,034
2017-18 (दिसंबर 17 तक)	5,200	4,569	95,000	52,176



बैंक फायनेन्सिंग (रुपये लाख)

वर्ष	ऋण		अनुदान		लाभान्वित हितग्राही संख्या
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
2014-15	1181.20	904.47	195.32	167.86	2,219
2015-16	1035.00	779.59	220.40	168.71	1,758
2016-17	1036.11	434.12	222.80	51.96	331
2017-18 (दिसंबर 17 तक)	0	0	0	0	0

नोट-नील क्रान्ति योजना वर्ष 2017-18 में लागू होने से मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना अन्तर्गत कोई बजट आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण -

वर्ष 2016-17 में 31.52 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 30 तालाब स्वयं एवं बैंक ऋण से निर्माण कराये गये जिससे वर्ष में 30 हितग्राही लाभान्वित हुये । आज दिनांक तक वर्ष 2017-18 हेतु बजट आवंटन नहीं हुआ है।

गत तीन वर्षों में योजना अन्तर्गत निर्मित तालाबों की उपलब्धि निम्नानुसार रही :-

वर्ष	तालाब संख्या	जलक्षेत्र हेक्टेयर	लाभान्वित हितग्राही संख्या
2014-15	165	178.38	165
2015-16	117	126.36	117
2016-17	30	31.52	30
2017-18 (दिसंबर 2017 तक)	0	0	0

नोट- नील क्रान्ति योजना वर्ष 2017-18 में लागू होने से मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना अन्तर्गत कोई बजट आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।



मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा -

भारत सरकार द्वारा योजना में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि दर रुपये 20.34 पैसे निर्धारित है जिसका व्यय 50:50 क्रमशः केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। मृत्यु एवं स्थाई अपंगता की स्थिति में बीमा दावे की राशि रुपये 2,00,000/- नामित व्यक्ति को तथा अस्थायी विकलांगता की स्थिति में दावे की राशि रुपये 100,000/- निर्धारित है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में एक वर्ष के लिये राज्य के 1,84,933 मछुओं को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। जातिवार वर्गीकरण निम्नानुसार है। :-

क्र.	वर्ग	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)
1	अनुसूचित जनजाति	46,397	43,336
2	अनुसूचित जाति	12,688	17,542
3	सामान्य	1,21,923	1,24,055
	योग	1,80,988	1,84,933

वर्ष 2017-18 में दुर्घटना बीमा योजना को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में संविलियन किया गया है, जिसकी योजना अविधि 21 जून से आरम्भ हो कर 31 मई तक रहेगी अतः फिसकोफेड द्वारा वर्ष 2016-17 में बीमित मछुओं की बीमा अवधि 6 माह बढ़ाकर 31 मई 2018 की गई है अतः मछुओं का बीमा 1 जून 2018 से आरम्भ कर 31 मई 2019 तक होगा।

मत्स्य जीवियों को मृत्यु व विकलांगता पर अनुग्रह राशि-

वर्ष 2016-17 में बीमित मछुओं के असामयिक निधन के प्रकरण 21 रहे तथा 01 प्रकरण विकलांगता का रहा, जिन्हें अनुग्रह राशि रुपये 35.50 लाख सहायता उपलब्ध कराई गई।

वर्ष	मछुआ संख्या	मृत्यु संख्या	विकलांगता संख्या	अनुग्रह राशि (रुपये लाख)	
				मृत्यु	विकलांगता
2014-15	16	14	02	14,00,000	1,00,000
2015-16	10	10	0	10,00,000	1,00,000
2016-17	22	21	1	35,00,000	50,000
2017-18 (दिसंबर 17 तक)	10	10	0	19,00,000	0



बचत-सह-राहत योजना :-

वर्ष 2002-03 में केन्द्र प्रवर्तित “बचत-सह-राहत” योजना बंद ऋतु अवधि में मछुआरों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में लागू की गई है जिसमें पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के सक्रिय सदस्यों द्वारा माह सितम्बर से माह मई तक कुल 9 माह रुपये 100/- प्रतिमाह की दर से बैंक/पोस्ट आफिस में जमा कराया जाता है। हितग्राहियों द्वारा कुल रुपये 900/- जमा किए जाते हैं, इसके समतुल्य राशि रुपये 900/- राज्य शासन द्वारा रुपये 900/- केन्द्र शासन द्वारा कुल राशि रु. 2700/- जो हितग्राहियों को बंद ऋतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 में बचत-सह-राहत योजना अन्तर्गत रुपये 351.88 लाख का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2016-17 में वितरित की गई जिसका वर्गवार विवरण निम्नानुसार किया गया है।

क्रमांक	वर्ग	हितग्राही संख्या	भुगतान धनराशि (रु)
1	सामान्य	14125	254.250
2	अनुसूचित जनजाति	2237	40.226
3	अनुसूचित जाति	76	1.368
	योग	16438	295.884

वर्ष 2017-18 के लिए समिति के सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु केन्द्रांश राशि प्राप्त ना होने के कारण माह दिसम्बर 2017 तक बचत-सह-राहत राशि का वितरण नहीं किया जा सका राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का वितरण किया जावेगा।

फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना-

फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना- भूमि कृषको के समान मत्स्य पालको को वर्ष 2009-10 से 3 प्रतिशत ब्याज दर पर लागू कर वर्ष 2011-12 में 01 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 से शून्य प्रतिशत व्याज पर मत्स्य पालको को आवश्यक इनपुट्स के लिये फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में 8939 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 17 तक 4023 हितग्राहियों को फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। योजना प्रारम्भ से वर्ष 2016-17 तक 58552 फिशरमैन क्रेडिट कार्ड विभिन्न वर्ग के समिति सदस्यों को उपलब्ध करा दिये गये हैं।



राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद की बैठक दिनांक 29.5.2007 में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में धीमी प्रगति के संबंध में एवं विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एक राज्य योजना है, जो राज्यों में 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित होती है। योजना का लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में विभाग के रूपये 727.20 लाख के प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से स्वीकृत हुये, जिसके विपक्ष में राशि रूपये 726.66 लाख की रिलीज प्राप्त हुई, जिजसे निम्नानुसार प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया गया ।

प्रोजेक्ट अंतर्गत राशि रूपये 175.00 लाख से 4375 विभागीय एवं मत्स्य महासंघ के मछुआरों को जाल क्यकरण पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया गया। प्रोजेक्ट एक्वाकल्चर एक्टिविटीज इन एग्रीफील्ड अन्तर्गत राशि रूपये 200.00 लाख का अनुदान 500 (0.1हैक्टेयर) तालाब निर्माण एवं इनपुट हेतु प्रदाय किया गया प्रोजेक्ट मछुआरों को सिफेक्स क्य करण पर सहायता अंतर्गत राशि रूपये 100.00 लाख से 2941 हैक्टर ग्रीमीण जलक्षेत्र में सीफेक्स वितरण किया गया । प्रोजेक्ट फुटकर मत्स्य बाजार निर्माण हेतु राशि रूपये 175.00 लाख स्थानीय निकायों को 50 बाजार निर्माण हेतु प्रदाय किये गये । प्रोजेक्ट नदियों के मछुआरों को प्रशिक्षण एवं किट वितरण अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे निवासरत 1000 मछुआरों को प्रशिक्षण एवं किट वितरण पर राशि रूपये 66.00 लाख का व्यय किया गया ।

व्यय की गई राशि में से रूपये 493.77 लाख मार्च 2017 तक एवं रूपये 228.00 लाख का व्यय पुनर्वेधीकरण पश्चात् माह दिसम्बर 2017 तक किया गया ।





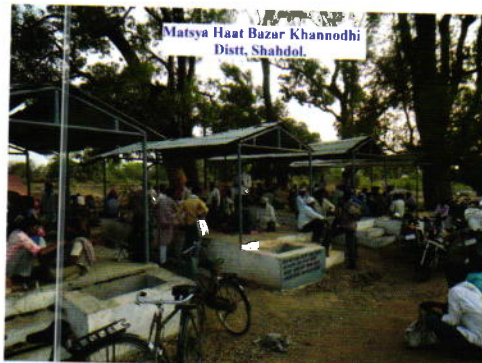
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड

मत्स्य बाजार :-

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास योजना अन्तर्गत प्रदेश के निम्न शहरों में सुव्यवस्थित हाइजेनिक फिश मार्केट का निर्माण उपभोक्ताओं तक स्वच्छ एवं ताजी अवस्था में मछली पहुंचाने तथा मछुआरों को मत्स्याखेट का उचित पारिश्रमिक प्राप्त होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के सहयोग से संबंधित नगर निगम/नगर पालिका द्वारा मत्स्य बाजार का निर्माण किया गया है, तथा बाजार निर्माण हेतु राशि लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा सीधे संबंधित नगर निगम/नगर पालिका /नगर परिषद को प्रदाय की गई है, निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है।

(रुपये लाख में)

क्रमांक	जिला	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि
1	सतना	112.50	101.25	107.73
2	सिवनी	90.00	90.00	90.00
3	अनूपपुर	45.00	40.50	60.11
4	रीवा	112.50	112.50	112.50
5	सागर	112.50	112.50	112.50
6	जबलपुर	185.40	129.78	129.78
	योग	657.90	586.53	612.62





भाग-चार
सामान्य प्रशासनिक विषय
वर्ष 2016-2017
(1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)

1. विभागीय पदोन्नति -
 वर्ष 2016-17 में निम्नानुसार पदोन्नतियाँ हुई हैं ।

क्र.	श्रेणी	पद संख्या
1	प्रथम श्रेणी	01
2	द्वितीय श्रेणी	0
3	तृतीय श्रेणी	50
4	चतुर्थ श्रेणी	0

2. जांच:-

वर्ष 2016-17 में नवीन जांच प्रकरणों की संख्या 02 रही वर्ष में कुल 07 प्रकरण विचाराधीन थे जिसमें से 03 प्रकरण का निराकरण किया गया है। शेष 04 प्रकरणों में कार्यवाही अभी विचाराधीन है।

3. सेवानिवृत्ति:-

वर्ष 2016-17 में विभाग में कुल 18 अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए । इसके अतिरिक्त 01 कर्मचारी का आकस्मिक निधन हुआ है।

4. शिकायत:-

लोकायुक्त कार्यालय में 03 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध है।

5. स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी:-

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक

क्र.	श्रेणी	स्थानांतरित अधिकारी/ कर्मचारी संख्या	स्थानांतरण संशोधन संख्या	स्थानांतरण निरस्त संख्या
1	प्रथम श्रेणी	-	-	-
2	द्वितीय श्रेणी	8	01	0
3	तृतीय श्रेणी	37	03	01
4	चतुर्थ श्रेणी	02	01	01
	योग	47	05	02



6. न्यायालयीन प्रकरण:-

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-11-111/ 2006/एक/9 भोपाल दिनांक 17 जनवरी 2007 के अनुसार लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

(01.04.2016 से 31.03.2017 तक)

प्रशासनिक न्यायालय का नाम	कुल संख्या	प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की संख्या	जिनमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये न जाने की संख्या	जवाबदावा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की संख्या	जवाबदावा न किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या
जबलपुर	47	47	0	47	0
ग्वालियर	16	16	0	16	0
इंदौर	14	14	0	14	0
योग	77	77	0	77	0

7. विधान सभा प्रश्न ध्यानाकर्षण सूचनाओं की जानकारी -

वर्ष 2016-17 में मान्नीय विधायकों द्वारा विभाग से संबंधित कुल 53 विधान सभा प्रश्न पूछे गए ।

8. ध्यानाकर्षण सूचनाएं -

वर्ष 2016-17 में 2 ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त रही ।

9. विभागीय गतिविधियों की विभागीय वेबसाइट -

विभागीय गतिविधियों की विभागीय वेबसाइट <http://www.mpfisheries.gov.in> पर भी देखा जा सकता है एवं पत्र व्यवहार हेतु विभाग को E-mail: dirfish@mp.nic.in पर ई-मेल किया जा सकता है ।

10. प्रकाशन-

संसदीय कार्य नियमावली के सुसंगत उद्धरण अनुबंध 9 (पैरा 7.17.3) के अनुसार विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है ।



सामान्य प्रशासनिक विषय

वर्ष 2017-2018

(1 अप्रैल 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

1. विभागीय पदोन्नति -

वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार पदोन्नतियाँ हुई हैं ।

(1 अप्रैल 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	श्रेणी	पद संख्या
1	प्रथम श्रेणी	0
2	द्वितीय श्रेणी	0
3	तृतीय श्रेणी	0
4	चतुर्थ श्रेणी	0

2. जॉच -

वर्ष 2017-18 में नवीन जॉच प्रकरणों की संख्या 03 रही वर्ष में कुल 07 प्रकरण विचाराधीन थे जिसमें से 03 प्रकरण का निराकरण किया गया है। शेष 04 प्रकरणों में कार्यवाही अभी विचाराधीन है।

3. शिकायत -

03 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें से 01 प्रकरण पर निर्णय हो चुका है।

4. सेवानिवृत्ति -

वर्ष 2017-18 में विभाग में कुल 13 अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा से निवृत्त हुए । इसके अतिरिक्त सेवा में रहते हुये 02 कर्मचारी के आकस्मिक निधन हुआ हैं ।

5. स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी-

(1 अप्रैल 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	श्रेणी	स्थानांतरित अधिकारी/ कर्मचारी संख्या	स्थानांतरण संशोधन संख्या	स्थानांतरण निरस्त संख्या
1	प्रथम श्रेणी	2	0	0
2	द्वितीय श्रेणी	13	1	0
3	तृतीय श्रेणी	107	12	1
4	चतुर्थ श्रेणी	15	3	1
	योग	137	16	2



6. न्यायालयीन प्रकरण:-

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-11-111 /2006/एक/9 भोपाल दिनांक 17 जनवरी 2007 के अनुसार लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है ।

(01.04.2017 से 31.12..2017 तक)

प्रशासनिक न्यायालय का नाम	कुल संख्या	प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की संख्या	जिनमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त न किये जाने की संख्या	जवाबदावा प्रस्तुत किये गए प्रकरणों की संख्या	जवाबदावा न किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या
जबलपुर	46	46	0	46	0
ग्वालियर	21	21	0	21	0
इंदौर	12	12	0	12	0
योग	79	79	0	79	0

7. विधान सभा प्रश्न ध्यानाकर्षण सूचनाओं की जानकारी -

वर्ष 2017-2018 में माननीय विधायकों द्वारा विभाग से संबंधित कुल 84 विधान सभा प्रश्न पूछे गए ।

8. ध्यानाकर्षण सूचनाएं -

वर्ष 2017-2018 में 1 ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त रही ।

9. प्रकाशन -

संसदीय कार्य नियमावली के सुसंगत उद्धरण अनुबंध 9 (पैरा 7 .17.3) के अनुसार विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।



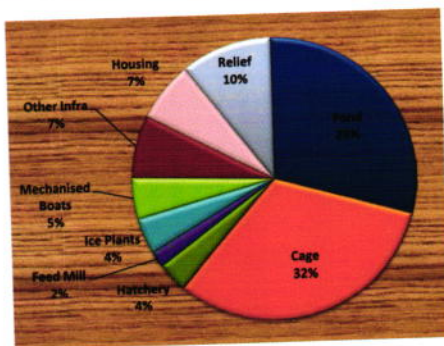


अभिनव योजना

नील क्रांति योजना :-

नील क्रांति योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में भारत सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों के सम्पादन के लिये राशि 3831.94 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था। योजना अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक. 28/12/2017 से फिंगरलिंग फिश सीड, रियरिंग यूनिट, इनपुट कास्ट फार प्रोडक्शन ऑफ फिंगरलिंग, फिश फीड मील की स्थापना, मोबाइल मार्केटिंग वेन, स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सरकुलर हैचरी, रि-सरकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मत्स्योत्पादन, आइस प्लांट की स्थापना, इंसुलेटेड ट्रक, मोटर सायकिल विथ आइस बाक्स, प्रशिक्षण तथा बचत सह राहत योजना कार्यक्रम के लिये राशि रुपये 2584.50 लाख के प्रस्ताव की स्वीकृत प्राप्त हुई है, जिसमें केन्द्रांश राशि 746.69 लाख, राज्यांश 530.96 लाख एवं हितग्राही का अंश राशि रुपये 1306.85 लाख है जो कि हितग्राही द्वारा वहन किया जावेगा।

केन्द्र शासन के सहयोग से वर्ष 2016-17 से राज्य में नील क्रांति योजना लागू है। जिसमें मत्स्य आहार निर्माण के लिये मील की स्थापना, मत्स्यबीज उत्पादन के लिये हैचरियों का निर्माण, स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण तथा वृहद जलाशयों में जिसमें वर्ष भर चार मीटर की गहराई तक पानी रहता है, में केज निर्माण कर शीघ्र बढ़ने वाली प्रजाति की मछली जैसे पंगेसियस का पालन करना। नील क्रांति योजना अंतर्गत वर्तमान में लागत का 40 प्रतिशत सामान्य तथा 60 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति / जाति वर्ग को अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।



नील क्रांति योजना अंतर्गत विभिन्न मदों में बजट आवंटन 2017-18



भाग छः

सारांश

आलोच्य वर्ष 2016-17 में मत्स्योद्योग संचालनालय अपने महत्वपूर्ण दायित्व पूर्ण करने हेतु सतत् प्रयासरत रहा। वर्ष में मत्स्योत्पादन की उपलब्धि लक्ष्य के विपक्ष में 106.69 प्रतिशत रही। प्रदेश में मत्स्यबीज उत्पादन स्टेण्डर्ड फ्राई का 103.86 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। इस वर्ष मत्स्यपालन हेतु 5819 हेक्टेयर अतिरिक्त जलक्षेत्र लाया गया।

मत्स्य सहकारी संस्थाएं —

दिसम्बर 2017 तक 42 नवीन मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया, जिनकी सदस्य संख्या 1320 है। मछुओं की राष्ट्रीय कल्याणकारी कार्यक्रम योजना अन्तर्गत 1,84,933 मछुओं का बीमा किया गया। वर्ष 2017-18 में 10 मछुओं की मृत्यु पश्चात दावा राशि रुपये 19.00 लाख उपलब्ध कराई गई है।

मत्स्यबीज उत्पादन —

राज्य में मत्स्य बीज की आवश्यकता वर्ष 2016-17 की पूर्ति के लिये 10,700 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित थे, इसके विरुद्ध 11113.26 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ (103.86 प्रतिशत) वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 2017 तक 10664.91 लाख मत्स्य बीज उत्पादन हुआ।

मत्स्योत्पादन —

वर्ष 2016-2017 मध्यप्रदेश के लिए 1,30,000 टन के लक्ष्य थे, जिसके विरुद्ध 1,38,693.91 टन का मत्स्योत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 106.69 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 2017 तक मत्स्य उत्पादन 86225.90 टन हुआ।

बचत-सह-राहत —

बचत-सह-राहत राष्ट्रीय योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में रुपये 295.88 लाख अनुदान की राशि से 1,64,38 मछुओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2017-18 में केन्द्राशं राशि प्राप्त नहीं के कारण अनुदान राशि का वितरण नहीं किया जा सका।

रोजगार सृजन—

वर्ष 2016-17 में मत्स्योद्योग कार्यों में 222.89 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ। वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 17 तक 230 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य के विपक्ष में 152.69 लाख रोजगार सृजित किया जा चुका है।



नदियों में मत्स्यबीज संचयन –

नदियों में मत्स्यबीज संचयन होने से नदियों के मत्स्य भंडार में हो रही कमी की पूर्ति के साथ-साथ नदियों के किनारों रहने वाले मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों एवं अन्य मछुआरों को अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। नदियों में प्रचुर मात्रा में मत्स्यबीज संचयन किये जाने से मत्स्य भंडार में वृद्धि के साथ-साथ प्राकृतिक मत्स्य प्रजनन से नदियों के भंडार में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रदेश में वर्ष 2016-17 में नदियों के विभिन्न गहरे दहों में 294.15 लाख स्टेण्डर्ड फ्राय मत्स्यबीज संचयन किया गया तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 17 तक 232.14 लाख स्टेण्डर्ड फ्राय मत्स्यबीज संचय किया जा चुका है।

मछुआ आवास–

प्रदेश में मछुआरों के बेहतर निवास हेतु मछुआ आवास योजना क्रियान्वित है वर्ष 2016-17 में 122 मछुआ आवास बनाए जाकर राशि रुपये 45.75 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने से मछुआ आवास योजना बन्द की जा चुकी है।



योजना अंतर्गत निर्मित मछुआ आवास



परिशिष्ट-एक

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

दिनांक 21 फरवरी 2017

मेरी सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा दिया है। कुल उपलब्ध जल क्षेत्र के 98 प्रतिशत में मत्स्य-पालन हो रहा है। दृष्टि-पत्र 2018 में 100 करोड मत्स्य बीज उत्पादन की लक्ष्य की पूर्ति इसी वर्ष 107 करोड मत्स्य बीज उत्पादन से कर ली गई है। नगर पंचायतों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सुव्यवस्थित मत्स्य-विक्रय के लिये 136 छोटे मछली बाजारों का निर्माण किया गया है।





परिशिष्ट-दो

सिटीजन चार्टर

क्र.	कार्य/गतिविधि/योजन I का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है, उनका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1	विभागीय योजना/ योजनाओं/ कार्यक्रमों तथा निजी क्षेत्र में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास इकाई आदि की स्थापना हेतु जानकारी/ सलाह देना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
2	विभागीय जलाशयों में स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट करने की इच्छुक संस्थाओं/ समूहों के आवेदन पत्र पर कार्यवाही	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	7 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
3	त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को तालाब पट्टे के प्रकरण प्रस्तुत करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
4	अनुदान प्रकरणों को जिला पंचायत को प्रस्तुत करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन



5	शिक्षण प्रशिक्षण के लिये हितग्राहियों का चयन ।				
	1- ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत से नामांकन करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अ. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
	2- प्रशिक्षण प्रारम्भ करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अ. मत्स्य कृषक विकास	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
6	मछुआरों/मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण पर भेजने हेतु नामांकन पंचायत से प्राप्त करना ।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
7	बीमित मछुआरा की मृत्यु /स्थाई अपंगता होने पर उसकी दुर्घटना बीमा राशि का प्रकरण तैयार करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
8	हितग्राहियों के मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास हेतु ऋण प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन
9	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास तालाबों में मछलियों की बीमारी बाढ़ अन्य किसी समस्या के निराकरण हेतु सलाह देना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/मु.का. अधि. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिन



लोक सेवा प्रदाय की गारंटी

**मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की योजनाएँ**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपीली प्राधिकारी का नाम
1.	मत्स्यबीज उत्पादन हेतु सर्कुलर हेचरी की स्थापना के लिये आवेदन की स्वीकृति जारी करना।	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग	07 दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग
2.	जलाशयो में मत्स्यबीज फिंगरलिंग संचयन हेतु सहायता के लिये आवेदन	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग	07 दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग
3.	तालाबो में एरियेटर की स्थापना के लिये आवेदन की स्वीकृति जारी करना	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग	07 दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग
4.	मत्स्य बीज संवर्धन की इकाई की स्थापना के लिये आवेदन की स्वीकृति जारी करना।	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग	07 दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग
5.	पंचायती राज्य संस्थाओं से प्राप्त पट्टा आवंटन के प्रस्ताव पर हितग्राहियों की प्राथमिकता का निर्धारण।	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग	15 दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग
6.	मछुआ सहकारी समिति के गठन पश्चात् पंजीयन हेतु अनुशंसा करना।	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग	15 दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग



परिशिष्ट-तीन

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

मध्यप्रदेश एक दृष्टि में वर्ष 2017-18 (दिसंबर 2017 तक)

क्र.	विवरण	जलक्षेत्र (लाख हैक्टर)
1	मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध जलक्षेत्र	
	अ- सिंचाई	3.39
	ब- ग्रामीण	0.68
	योग	4.07
1.1	मत्स्य पालन अंतर्गत जलक्षेत्र	
	अ- सिंचाई	3.37
	ब- ग्रामीण	0.65
	योग	4.02
	नदियों एवं सहायक नदियों की लम्बाई किलोमीटर -	17,088
2	मत्स्य बीज उत्पादन के स्रोत	
2.1	हैचरी संख्या	70
2.1.1	विभाग	36
2.1.2	मत्स्य महासंघ	05
2.1.3	निजी क्षेत्र	29
2.2	संवर्धन जलक्षेत्र (हैक्टर)	
2.2.1	विभागीय मत्स्यबीज प्रक्षेत्र	120 119.92
2.2.2	विभाग अंतर्गत मौसमी संवर्धन जलक्षेत्र	33 41.00
2.2.3	मत्स्य महासंघ के मत्स्यबीज प्रक्षेत्र	05 22.50
	मत्स्य महासंघ का संवर्धन जलक्षेत्र	197 394.36
2.2.4	निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज प्रक्षेत्र/पोखर	333 387.13
3	मत्स्यबीज की आवश्यकता स्टेण्डर्ड फ्राई (करोड़)	118.70
3.1	मत्स्यबीज की पूर्ति स्टेण्डर्ड फ्राई (करोड़)	106.65



4	मत्स्यबीज उत्पादन	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि (लाख)	प्रतिशत
	अ- स्पान	51450	47005.50	91.36
	ब- स्टेण्ड फ्राई	11870	10664.91	89.85
5	मत्स्यबीज संचयन (स्टे.फ्राई)	11575.88	9577.29	82.73
6	मत्स्योत्पादन (टन)	155000	86225.9	55.63

7 मछुआ सहकारिता

प्रदेश में कुल 2332 मछुआ सहकारी समितियाँ, सदस्य संख्या 86720

(दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

क्र.	वर्ग	मछुआ सहकारी समितियाँ	
		समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य	1526	62472
2	अनुसूचित जनजाति	631	19236
3	अनुसूचित जाति	175	5012
	योग	2332	86720

उपरोक्त समितियों में महिला समिति 51 सदस्य संख्या 1683 शामिल है।

8	रोजगार सृजन (लाख)	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि (लाख)	प्रतिशत
	मानव दिवस	230	152.69	66.38
9	विभागीय आय	70.38	190.641	270.87
10	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को मत्स्य पालन से आय		161.294	
10.1	ग्रामीण तालाबों से		61.794	
10.2	सिंचाई जलाशयों से		99.500	



11. मछुओं का दुर्घटना बीमा वर्ष 2017-18

(दिसम्बर 2017 से एक वर्ष के लिए)

क्र.	वर्ग	लक्ष्य संख्या	पुरुष वर्ग	महिला वर्ग	कुल योग
अ	अनुसूचित जनजाति	43336	30563	12773	43336
ब	अनुसूचित जाति	17542	12416	5126	17542
स	सामान्य	124055	88730	35325	124055
	योग	184933	131709	53224	184933

नोट :- योजना छः माह बढ़ाई गई है 2018-19 के लक्ष्य प्रास्तवित किये जाएगे।

12. मछुआ-प्रशिक्षण (विभाग)

(माह दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	वर्ग	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या	प्रतिशत
अ	अनुसूचित जनजाति	1401	894	64
ब	अनुसूचित जाति	520	309	59
स	सामान्य	3721	1545	42
	योग	5642	2748	49

13. नवीन रूप से विकसित जलक्षेत्र

(माह दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	विवरण	ग्रामीण	निजी	सिंचाई	योग
1	तालाब (संख्या)	306	4	20	330
2	जलक्षेत्र (हेक्ट.)	511.93	2.40	500.85	1015.18

14. मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता (अनुदान रुपये लाख में)

(अ) विभाग

(माह दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	वर्ग	आवंटन	विमुक्त राशि	व्यय	हितग्राही संख्या
1	सामान्य	47.45	42.70	22.69	1173
2	अनुसूचित जनजाति मत्स्यपालक	25.90	23.31	11.95	738
3	अनुसूचित जाति मत्स्यपालक	7.90	7.11	3.42	178
	योग	81.25	73.12	38.06	2089



15. मत्स्य सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता :-

(माह दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	वर्ग	अनुदान (रु.लाख)				
		आवंटन	विमुक्त राशि	व्यय	समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य	71.55	64.40	42.25	217	5425
2	अनुसूचित जनजाति	27.75	24.97	16.74	88	2200
3	अनुसूचित जाति	6.75	6.07	2.94	14	350
	योग	106.06	95.44	61.93	319	7975

16. बचत-सह-राहत

बचत-सह-राहत राष्ट्रीय योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में केन्द्र शासन द्वारा मछुआ सहकारी समितियों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को ही योजना का लाभ दिया जावेगा माह दिसम्बर 2017 तक केन्द्रांश राशि प्रदान नहीं होने के कारण बचत-सह-राहत-अनुदान राशि का वितरण नहीं किया गया ।

17. सिंचाई / ग्रामीण तालाब पट्टा आवंटन

(माह दिसंबर 2017 तक)

क्र.	विवरण	सिंचाई जलाशय	ग्रामीण तालाब
अ	तालाब (संख्या)	31	361
ब	जलक्षेत्र (हैक्टर)	1018.35	638.70
स	हितग्राही (संख्या)	827	1617

18. विशेष केन्द्रीय सहायता -

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 20 जिलों के 89 विकास खण्डों के आदिवासी हितग्राहियों के शतप्रतिशत अनुदान पर 0.10 हैक्टर जल क्षेत्र के सर्वधन पोण्ड निर्माण, मत्स्य आहार, मछुआ प्रशिक्षण, जाल वितरण, हॉकर्स कॉर्नर (छोटे मत्स्य बाजार) आदि गतिविधियों के लिये रुपये 480.19 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके विपक्ष में माह दिसम्बर 2017 तक रुपये 121.15 लाख का व्यय हुआ है।



परिशिष्ट-चार

मत्स्योद्योग विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मत्स्योद्योग विभाग में लागू किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत संचालनालय एवं जिला स्तर पर निम्नानुसार अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, म.प्र.शासन मंत्रालय, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के आदेश क्रमांक 1740/म/36/2005 भोपाल, दिनांक 22.09.2005 के आदेशानुसार मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत संचालनालय स्तर पर संचालक मत्स्योद्योग म.प्र. को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला स्तर पर मत्स्योद्योग विभाग के लिये संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया है।

संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मत्स्योद्योग विभाग के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की संचालनालय में आदेश क्रमांक 2409-10/म/जला./2005 भोपाल दिनांक 20 सितम्बर 2005 से नियुक्ति की गई है।

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	कार्यालय का नाम एवं दूरभाष क्रमांक	निवास का पता एवं दूरभाष क्रमांक
1	लोक सूचना अधिकारी		
1	श्री एच.के.खरे,, उप संचालक मत्स्योद्योग	संचालनालय मत्स्योद्योग मत्स्य प्रक्षेत्र भदभदा रोड भोपाल(म.प्र.) दूरभाष - 2777297	128 वैष्णव सुरेन्द्र पेलेस होशगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.)
2	सहायक लोकसूचना अधिकारी		
	श्री ए.के श्रीवास्तव सहायक संचालक मत्स्योद्योग	संचालनालय मत्स्योद्योग मत्स्य प्रक्षेत्र भदभदा रोड भोपाल(म.प्र.) दूरभाष - 2777701	एफ.94/35 तुलसी नगर भोपाल



राज्य स्तरीय कार्यालयों के लिये संचालनालय के आदेश क्रमांक 2411/म/प्रका/2005-06 दिनांक 20 सितंबर 2005 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के अंतर्गत उप संचालक/सहायक संचालक मत्स्योद्योग को जिले का लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कार्यालय में पदस्थ तकनीकी शाखा प्रभारी (सहायक मत्स्य अधिकारी/मत्स्यपालन प्रसार अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक) को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय कार्यालयों में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किये गए हैं :-

इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग भोपाल	अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग	अनुसंधान सहायक
कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान नौगाँव जिला, छतरपुर	उप संचालक मत्स्योद्योग	प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी
कार्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग पौण्डी मैहर, जिला सतना	उप संचालक मत्स्योद्योग	सहायक मत्स्य अधिकारी
कार्यालय मत्स्यालय अधिकारी भोपाल	मत्स्यालय अधिकारी	मत्स्यालय में पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी

वर्ष-2016-17 में सूचना के अधिकार अन्तर्गत आवेदको से जानकारी प्राप्त करने हेतु 37 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 37 ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदको को जानकारी प्रदाय की गई, जानकारी प्रदाय से रुपये 900/- शुल्क के रूप में विभाग में जमा किये गए।

वर्ष- 2017-18 में दिसम्बर 17 तक जानकारी प्राप्त करने हेतु 23 आवेदन प्राप्त हुए तथा रुपये 338 शुल्क विभाग में जमा किये गए।



भाग - सात

(महिला खण्ड)

महिला समिति/महिला समूहों की मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास में भागीदारी
वर्ष 2016-17

अ. अनुदान -

क्र.	विवरण	वर्ष 2016-17		
		अनुदान (रु.लाख)	समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	महिला मछुआ सहकारी समिति	1.13	02	44
2	महिला समूह	1.12	30	287
3	महिला पिछड़ा वर्ग समूह	07	1	1

ब. महिला समिति/समूहों को तालाब एवं जलाशय आवंटन वर्ष 2016-17

क्र.	विवरण	वर्ष 2016-17					
		ग्रामीण तालाब			सिंचाई जलाशय		
		तालाब संख्या	जलक्षेत्र (हेक्ट)	लाभांवित हितग्राही संख्या	तालाब संख्या	जलक्षेत्र (हेक्ट)	लाभांवित हितग्राही संख्या
1	महिला मछुआ सह.समिति	06	27	83	04	90.35	86
2	पिछड़ा मछुआ सह.समिति	0	0	0	11	302	308
3	महिला समूह	48	54.08	942	06	1.57	20
4	पिछड़ा महिला वर्ग समूह/व्यक्ति	11	0.72	100	01	0.40	10
5	अल्प संख्यक महिला समूह/व्यक्ति	1	2.97	5	0	0	0



स. महिला मछुआ सहकारी समिति का गठन-

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में महिला समिति/महिला समूह की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला मछुआ सहकारी समितियों का गठन कराया गया है। वर्तमान स्थिति में 48 महिला मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है, जिसकी सदस्य संख्या 1632 है। वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	महिला वर्ग	समिति संख्या	सदस्य संख्या
1	सामान्य मछुआ सहकारी समिति	31	1193
2	अनुसूचित जनजाति मछुआ सहकारी समिति	11	277
3	अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति	6	162
	योग	48	1632

द. महिलाओं का दुर्घटना बीमा -

वर्ष 2016-17 में पुरुष मत्स्य पालकों की भांति 53,224 महिलाओं का दुर्घटना बीमा भी कराया गया है। यह संख्या प्रदेश में कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या 1,84,933 का 28.78 प्रतिशत है।

ई. महिला स्वावलम्बन समूह (महिला वर्ग) -

वर्ष 2016-17 तक महिला स्वावलम्बन समूह संख्या 96 है। जिसकी सदस्य संख्या 937 है। वर्गवार सदस्य संख्या निम्नानुसार :-

क्र	वर्ग	समूह संख्या	सदस्य संख्या
1	अनुसूचित जाति	12	90
2	अनुसूचित जनजाति	49	499
3	पिछड़ा वर्ग	26	251
4	अल्प संख्यक वर्ग	0	0
5	सामान्य	09	97
	योग	96	937



सफलता की कहानी

1. तालाब का नाम	: — कॉठ
2. जलक्षेत्र	: — 3.086 हेक्टर
3. पट्टा अवधि	: — 20.03.2008 से 30.06.2017
4. पट्टा धारक का नाम पता	: — श्री नारायणसिंह आ. प्रभुलाल मछुआ समूह कॉठ, 03 वि.ख.सांची, जिला-रायसेन (म0प्र0)
5. प्रारंभिक पट्टा राशि	: — रुपये 4200 /— प्रतिवर्ष वर्तमान 5600 /—
6. योजना प्रारम्भ से पहले मत्स्योत्पादन/आय	: — 900 कि.ग्रा. (50रु/कि.) 45,000 /—
7. वर्तमान में मत्स्योत्पादन	: — 4.0 मेट्रिक टन प्रति वर्ष
8. मछली पालन से आय	: — 0.70 लाख प्रति वर्ष
9. सिंघाडी से आय	: — 0.70 लाख प्रति वर्ष
10. कुल आय	: — 3.90 लाख प्रति वर्ष
11. प्रति सदस्य आय	: — 1.30 लाख प्रति वर्ष

रायसेन जिले अन्तर्गत साँची विकास खण्ड स्थित ग्राम पंचायत कॉठ में ग्राम काठ ग्रामीण तालाब जिसका जलक्षेत्र 3.086 हेक्टर है। 20.03.2008 से 30.06.2017 तक 10 वर्षीय मछली पालन हेतु पट्टे पर श्री नारायण सिंह आ. श्री प्रभुलाल भोई मछुआ समूह कॉठ को प्रदाय किया गया। जिसमें कुल 03 सदस्य हैं। सभी सदस्य परम्परागत मछुआ जाति के हैं। प्रारम्भ में तालाब की पट्टा राशि रु 4200 /— प्रतिवर्ष थी जो वर्तमान में रु 5600 /— है समूह के प्रमुख श्री नारायण एवं अन्य सदस्य ग्राम के आस-पास नदी नालों में मछली पकड़ने व हाट बाजारों में फुटकर मछली बेचने का काम करते थे। तब इन सदस्यों की आय बहुत कम होती थी। एवं गरीबी रेखा में नामदर्ज था। वर्ष 2008, से कॉठ ग्रामीण तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन व सिंघाडा खेती करते हैं जिसमें मत्स्योत्पादन व सिंघाडी खेती से प्रतिवर्ष कमोत्तर आय में वृद्धि हुई एवं जिन्दगी खुशहाल से व्यतीत हो रही है, समूह के सभी सदस्यों को विभागीय योजनान्तर्गत मछली पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है, विगत वर्ष 2012-13 में समूह के प्रमुख श्री नारायण सिंह के प्रदेश से बाहर उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश में उन्नत प्रकार से किये जा रहे मछली पालन अवलोकन प्रशिक्षण हेतु भ्रमण कर जाने उपरान्त परम्परागत मछली पालन में सोच बदली एवं रु 5000 /— जमा कर आर.के.व्ही. वाय. योजनान्तर्गत 1700 कि.ग्राम. मूल्य 50,000 का मत्स्य आहार खरीद किया जिससे कॉठ ग्रामीण तालाब में वर्ष 2008 में जहाँ 900 कि.ग्रा. मछली उत्पादन होता था। उसमें विगत वर्ष 4.00 मेट्रिक टन मत्स्योत्पादन होने लगा है जिससे रुपये 3,20,000 /— की मछली विक्री की गई। साथ ही सिंघाडे की खेती भी की तथा सिंघाडी विक्री से कुल रु 70,000 /— की आय प्राप्त हुई। इस प्रकार कॉठ ग्रामीण तालाब से कुल रुपये 3,90,000 /— की आय प्राप्त कर प्रति सदस्य 1,30,000 /— प्राप्त किया गया।



सफलता की कहानी

अनूपपुर 26 अक्टूबर 2017 ग्राम बीड में श्री नारायण सिंह मुखियां 12 महिला एवं पुरुषों ने मिलकर मछुआ समूह बनाकर ग्राम में मछली पालन करना प्रारम्भ किया समूह ने ग्राम पंचायत के 4 विभिन्न तालाबों के साथ-साथ नकटी जलाशय जिसका रकबा लगभग 4.00 हेक्टेयर है। मछली पालन का कार्य प्रारंभ किया गया, जाल की मदद से मछली स्वयं निकाल कर नजदीकी के साप्ताहिक बाजारों लपटा, खुटाटोलाव, वेंकटनगर, जैतहरी आदि में बिक्रीकर अपने सदस्यों को लाभ के साथ – साथ समूह के खाते में बचत करते थे। इससे सदस्यों को वार्षिक आय मिल जाती थी। अब यह तिपान मछुआ सहकारी समिति में परिवर्तन हो गया है, जिसकी सदस्य संख्या 25 है, समिति ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से मछली पालन विभाग से 0.5 हेक्टेयर, में 5 लाख, से 4 नर्सरी का निर्माण किया, जिससे 2.50 लाख रु.अनुदान व 2.50 लाख रु खुटाटोला के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से मदद लेकर विगत 4 साल से स्पान पहले मैहर एवं छत्तीसगढ़ से लेकर संचयन कर फ्राय व फिंगरलिंग के रूप में बिक्री करते हैं, बचे हुए बीज को अपने तालाबों व जलाशय में फिंगरलिंग, के रूप में बिक्री करते हैं। बचे हुए बीज को अपने तालाबों व जलाशय में संचयन करते हैं, जिससे समिति को मछली बीज विक्रय से तो लाभ मिलता ही है, साथ –साथ मत्स्य विक्रय व आसपास के तालाबों से भी मत्स्याखेट कर वर्ष में 3 से 4 लाख रुपये की आमदनी समिति प्राप्त कर लेती है।





सफलता की कहानी

जिला दमोह विकास खण्ड जबेरा ग्राम हरदुआ सड़क। इस ग्राम के निवासी मेघराज रैकवार का जीवन मध्यप्रदेश के अधिकतर पिछड़े कृषकों से ज्यादा भिन्न नहीं था। उसकी आर्थिक हालात कमजोर थी। 1.14 हैक्टर भूमि पर वर्ष भर सतत परिश्रम करने के बाद भी मेघराज को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा था। निराशाओं से भरे जीवन से उभरने के लिये उसके मन में घोर अभिलाशा थी इसी अभिलाशा के कारण मेघराज सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला, दमोह से सहायता प्राप्त करने के लिये पहुँचा। यहां उसे म.प्र. शासन की मछली पालन से जुड़ी भिन्न योजनाओं की जानकारी मिली निराशा से भरे जीवन में आशा की किरणें जगमगाई सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला दमोह की सलाह पर मेघराज ने, आर.के.व्ही.वाय. योजनांतर्गत स्वयं की भूमि में नर्सरी निर्माण करने का निश्चय किया वर्ष— 2012-13 के मध्य भारत ग्रामीण बैंक जबेरा से आर.के.व्ही.वाय. योजनाअन्तर्गत 6.00 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया।

उक्त ऋण राशि पर रुपये 3.00 लाख का अनुदान आर.के.व्ही.वाय. योजना अन्तर्गत प्राप्त किया गया। तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर भूमि पर 6 नर्सरी का निर्माण कराया गया। मत्स्य बीज उत्पादन के सीजन में 50.00 लाख स्पान संचय उपरान्त 10.00, लाख स्टेण्डर्ड फ़ाई का उत्पादन प्राप्त कर बिक्री पश्चात मत्स्य कृषक को रुपये 2.10 लाख की शुद्ध आय प्राप्त की गई, वर्तमान समय में मत्स्य कृषक मेघराज आर्थिक रूप से सम्पन्न है, वर्तमान समय में मेघराज अन्य मत्स्य कृषकों को भी मत्स्यबीज उपलब्ध कराने में सक्षम है। उन्नत किस्म के तरीकों से मत्स्य पालन की तकनीकी मार्गदर्शन देने में सक्षम है, तथा अन्य मत्स्य कृषकों के लिये प्रेरणा स्रोत बन गया है।





सफलता की कहानी

मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. नौगाँव विकास खण्ड धार जिला धार म.प्र. की वंशानुगत मछुआ समिति है, जिसका पंजियन क्रमांक 303 दिनांक 06.09.1966 है। वर्तमान में कुल 174 सदस्य है समिति के पास ग्रामीण एवं सिचाई कुल 08 तालाब जलक्षेत्र 194.69 हैक्टर आवंटित है जिसमें मछली पालन के साथ – साथ सिंघाडा एवं तरबूज की जल कृषि भी की जाती है। जिससे समिति को प्रतिवर्ष मत्स्योत्पादन से रु. 63.10 लाख लगभग व सिंघाडा से रुपये 7.50 लाख, तरबूज से रुपये 2.50, लाख लगभग की आय प्राप्त होती है। समिति सदस्यों का मुख्य व्यवसाय मछली पालन एवं मत्स्याखेट है, मछली विक्रय कर 174 सदस्यों के 669 लोगों का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई शादी –विवाह आदि कार्य सपन्न होते हैं।

संस्था के पूर्वज तालाबों के किनारे झोपड़ी एवं तम्बू में रहा करते थे एवं नदी नालों से छोटी मछलीयाँ पकड़कर विक्रयकर जैसे–तैसे दो वक्त की रोटी की व्यवस्था हो पाती थी कभी–कभी एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। म.प्र. शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं आने से तालाबों की पट्टा राशि, मछली बीज, नाव–जाल मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ एवं राज्य सरकार के द्वारा बहुत से मछुआरे को मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे के लिये, मछली बीज, पट्टा राशि, नाव, जाल आदि के लिये व्यापारियों से 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पैसा लेना पड़ना था,। म.प्र. शासन मछली विभाग की जन कल्याणकारी योजना फिशरमेन क्रेडिट कार्ड एवं बचत सह राहत योजना आने से व्यापारियों से कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है, जिससे समिति सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 2011–12 में समिति द्वारा मत्स्योत्पादन से रुपये 53.95 लाख की आय प्राप्त की जो वर्ष 2013–14 में उत्तरोत्तर बढ़ कर रुपये 86.82 लाख हो गई जो, वर्ष 2011–12 की तुलना में 60.92 प्रतिशत अधिक थी ।





भाग— आठ

मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल

म.प्र. मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, का गठन राज्य शासन द्वारा, मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में किया गया है। इस का पंजीयन क्रमांक भोपाल/मुख्यालय/195 दिनांक 5.5.1987 है, तथा मुख्यालय भदभदा मत्स्यबीज प्रक्षेत्र, भोपाल पर स्थित है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.07.99 को म0प्र0 राज्य मत्स्य विकास निगम का समापन कर उसका संविलियन समस्त आस्तियाँ एवं दायित्वों सहित म0प्र0 मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित, भोपाल में किया गया।

मत्स्य महासंघ की अधिकृत अंशपूंजी रुपये 1000 लाख है, माह मार्च 2017 में राज्य शासन की अंशपूंजी रुपये 117.78 लाख, अन्य अंश रुपये 0.28 लाख कुल रु.118.06 लाख का धनवेष्टन है।

- 1. प्रमुख उद्देश्य :—** 1000 हेक्टर से बड़े जलाशयों का प्रबंधन सहकारिता के माध्यम से करते हुये मत्स्य सहकारी समिति के सदस्य मछुआरों एवं उनके परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना।
- 2. सहकारी समितियां :—** महासंघ के जलाशयों हेतु 209 सहकारी समितियों के 10895 सदस्य पंजीकृत हैं।
- 3. प्रशासकीय ढांचा :—**

मत्स्य महासंघ के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु संचालक मण्डल/कामकाज समिति गठित है। महासंघ की गतिविधियों के संचालन हेतु मुख्यालय में प्रबंध संचालक, मुख्य महाप्रबंधक तथा सचिव सहित 7 प्रबन्धकीय अमला उपलब्ध है। महासंघ की 9 क्षेत्रीय इकाईयां यथा भोपाल, बाणसागर, बरगी, गांधीसागर, इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, अटलसागर (मड़ीखेडा) एवं राजघाट-चंदेरी तथा राजघाट-सागर में अवस्थित हैं, जिनके माध्यम से मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्योत्पादन, मत्स्यबीज संचय, मत्स्य विक्रय, मछुआ कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं सभी विकास संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते हैं। माह दिसम्बर 2017 की स्थिति में मत्स्य महासंघ के वर्तमान स्वीकृत 296 पद के विरुद्ध अमला 158 कार्यरत है, जिसका श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है :—

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत संख्या	रिक्त
1	प्रथम	12	05	7
2	द्वितीय	18	06	12
3	तृतीय	132	70	62
4	चतुर्थ	134	77	57
योग		296	158	138



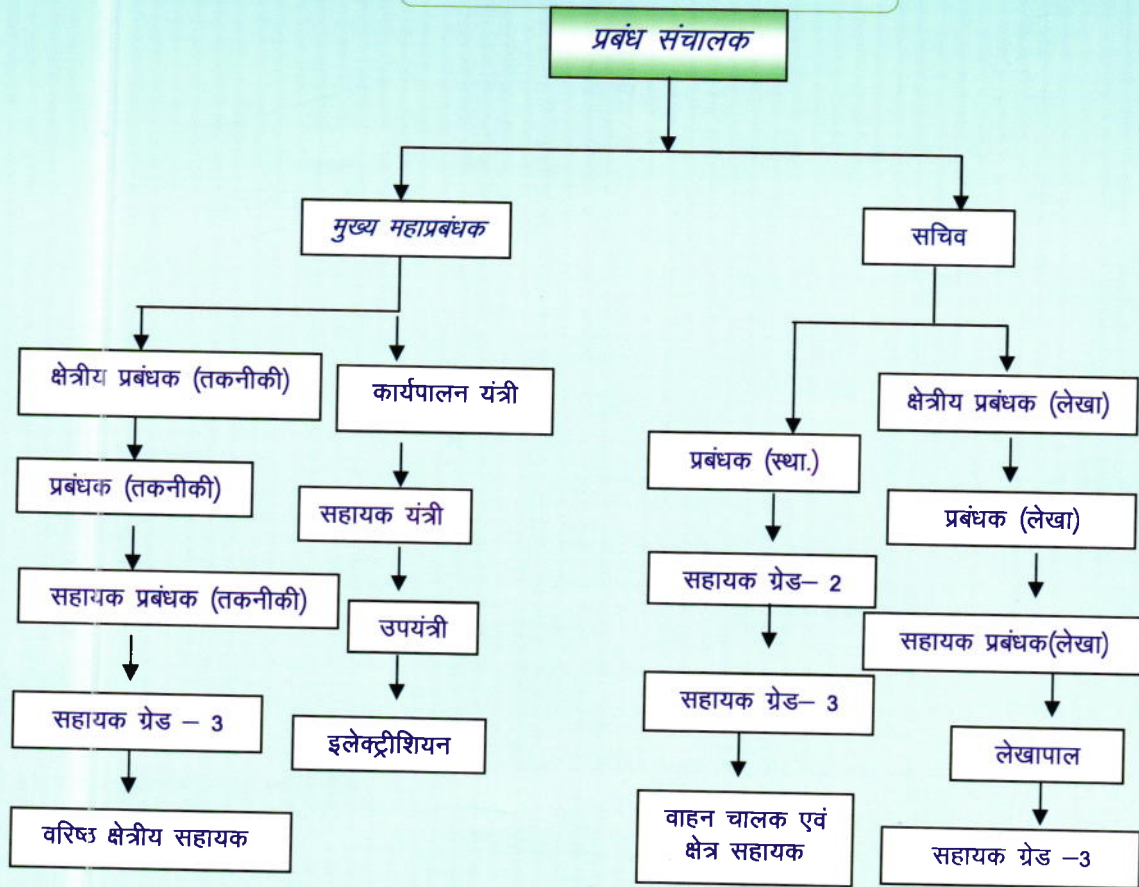
काम-काज समिति के सदस्य वर्ष 2017-18

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
1	श्री अंतर सिंह आर्य, मंत्री, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, म.प्र. शासन एवं अध्यक्ष मत्स्य महासंघ	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5	आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, म.प्र. भोपाल अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
6	मुख्य क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, क्षेत्रीय निदेशालय, ए-8 तृतीय तल प्लेटिनम प्लाजा टी.टी. नगर, भोपाल	सदस्य
7	सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (पर्यावरण एवं वन) अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि, नर्मदा भवन, 59 जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल	सदस्य
8	संचालक मत्स्योद्योग, म.प्र. भोपाल	सदस्य
9	प्रबंध संचालक, म.प्र. मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित भोपाल	सदस्य सचिव

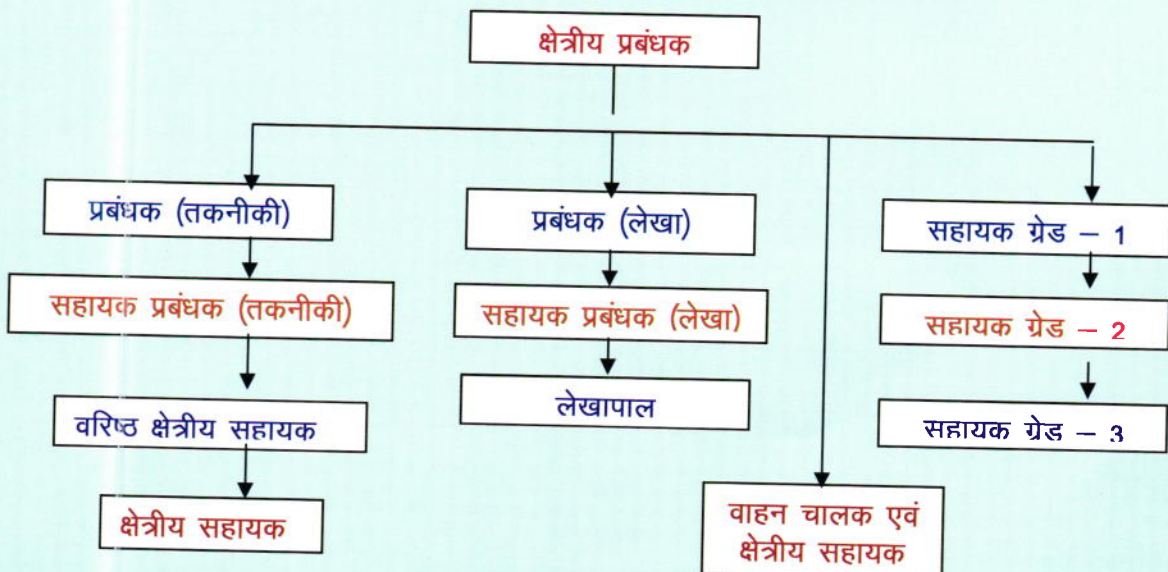




मुख्यालय की संरचना



क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना





मत्स्य महासंघ अन्तर्गत स्वीकृत तथा कार्यरत अमला
(31 दिसम्बर 2017 की स्थिति)

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	विवरण
1	प्रबंध संचालक	1	1	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
प्रथम श्रेणी				
2	मुख्य महाप्रबंधक	1	1	संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग विभाग प्रतिनियुक्ति पर।
3	सचिव	1	—	संयुक्त पंजीयक स्तर के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर।
4	क्षेत्रीय प्रबंधक (तक.)	7	2	
5	कार्यपालन यंत्री	1	1	
6	क्षेत्रीय प्रबंधक (लेखा.)	1	0	
	योग	12	5	
द्वितीय श्रेणी				
7	प्रबंधक (तक.)	11	3	
8	प्रबंधक (लेखा.)	5	2	
9	अनुभाग अधिकारी	1	0	
10	सहायक यंत्री	1	1	
	योग	18	6	
तृतीय श्रेणी				
11	सहायक प्रबंधक (तक)	36	29	
12	सहायक प्रबंधक (लेखा)	10	6	
13	सहायक प्रबंधक (स्था.)	1	1	
14	उपयंत्री	1	—	
15	स्टेनोग्राफर	1	1	
16	सहायक ग्रेड-दो	15	5	
17	लेखापाल	19	8	
18	सहायक ग्रेड-तीन कम कम्प्यूटर आपरेटर	21	10	
19	मैकेनिक	1	—	
20	आइस प्लांट आपरेटर	2	—	
21	इलेक्ट्रीशियन	1	1	
22	वाहन चालक	24	9	
	योग	132	70	
चतुर्थ श्रेणी				
23	कारपेंटर	3	02	
24	वरि.क्षेत्रीय सहायक	42	14	
25	क्षेत्रीय सहायक	89	61	
	योग	134	77	
	कुलयोग	296	158	



महासंघ के अधिनस्थ जलाशयों की जिलेवार स्थिति कार्यालय संबंधी जानकारी

क्र.	जलाशय का नाम	बांध स्थल के जिले का नाम	डूब क्षेत्र के जिले	इकाई प्रभारियों के नाम एवं कार्यालय का पता
1.	गांधीसागर	मंदसौर	1.मंदसौर 2.नीमच	श्री अरविंद तिवारी, प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, गांधीसागर मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित, गांधीसागर कॉलोनी, नं-8, जिला-मंदसौर (म.प्र.) 458771 दूरभाष क्र. 07427-239106 मो. 9425744073
2.	इन्दिरासागर	खण्डवा	1. खण्डवा	श्री आर.एम.तिवारी, प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, इंदिरासागर मत्स्य महासंघ (सह.)मर्यादित,नर्मदानगर जिला-खंडवा, (म.प्र.) -450119 दूरभाष क्र. 07323-284905 मो 9425647639
3.	मान	धार	2. देवास	
4.	माही	धार	3. हरदा 1. धार 1.धार	
5.	बरगी	जबलपुर	1. जबलपुर	श्री सी.बी. मोहने, प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, जबलपुर मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,प्रेमनगर,पोस्ट आफिस के पीछे,मदन महल,जबलपुर, (म.प्र.) -482001 दूरभाष क्र.0761-2420558 मो. 9425624169
6.	भीमगढ़	सिवनी	2. मण्डला	
7.	थावर	मण्डला	3. सिवनी	
8.	माचागोरा	छिंदवाडा	1. मण्डला 1.छिंदवाडा	
9.	बाणसागर	शहडोल	1. शहडोल 2. उमरिया 3. सतना	श्री दिलीप सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, बाणसागर मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,देवलौंद जिला शहडोल, (म.प्र.)- 484001 दूरभाष क्र. 07650-268348 मो 9179073375
10.	तवा	होशंगाबाद	1होशंगाबाद	श्री व्ही.के राय , क्षेत्रीय प्रबंधक, भोपाल मत्स्य महासंघ (सह.)मर्यादित,भदभदा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, भदभदा रोड, भोपाल,(म.प्र.)-462003 दूरभाष क्र. 0755-2773770 मो. 9479594407
11.	हलाली	रायसेन	2रायसेन,भोपाल	
12.	बारना	रायसेन	1. रायसेन	
13.	कोलार	सीहोर	1. सीहोर	
14.	केरवां	भोपाल	1.भोपाल	
15.	सगढ़	विदिशा	1. विदिशा	
16.	संजय सागर	विदिशा	1.विदिशा	
17.	ओंकारेश्वर	खण्डवा	1. खण्डवा 2. खरगोन 3. देवास	श्री आर.एम.तिवारी, प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, ओंकारेश्वर मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,मेन रोड गणेश नगर, ओंकारेश्वर जिला खण्डवा (म.प्र.)- 450554 दूरभाष क्र.07280-290563 मो9425647639
18.	मड़ीखेड़ा	शिवपुरी	1. शिवपुरी	श्री नेमसिंह यादव, प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, अटलसागर (मड़ीखेड़ा) मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,सिंध परियोजना कार्यालय परिसर,फील्ड होस्टल,छत्री के सामने,शिवपुरी (म.प्र.)-473551 मोबाईल क्र. 9425979251,8827690143
19.	हरसी	ग्वालियर		
20.	मोहिनी	शिवपुरी		
21.	राजघाट-चंदेरी	अशोक नगर	1.अशोकनगर	श्री विकास श्रीवास्तव , प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, राजघाट-चंदेरी मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित,साडा कालोनी, मकान नं.10 न्यू बस स्टैण्ड के पास चंदेरी जिला- अशोकनगर (म.प्र.) मोबाईल क्र. 9131670639
22.	राजघाट-सागर	सागर	1.सागर	श्री एम.जेड. सिद्धकी, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजघाट-सागर मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, एम.आई.जी. 25 राजीव नगर तिली रोड सागर मो. 9893696200
23.	कुटनी	छतरपुर	1.छतरपुर	



4. उपलब्ध जल संसाधन —

वर्ष 2016-17 में महासंघ को, शासन द्वारा दो जलाशय कुटनी एवं थावर मत्स्य पालन हेतु हस्तांतरित किये गये हैं तथा वर्ष 2017-18 में माचागोरा जलाशय शासन के आदेश क्र. एफ7-1/17/36 दिनांक 05.07.2017 से महासंघ को हस्तांतरित हुआ। इन हस्तांतरित नये जलाशयों के साथ वर्तमान में मत्स्य महासंघ के अधीन 23 जलाशय हो गये हैं जिनका कुल औसत जलक्षेत्र लगभग 2.16 लाख हेक्टे. हो गया है।

मत्स्यबीज उत्पादन हेतु 5 मत्स्यबीज प्रक्षेत्र (जलक्षेत्र 27.50 हेक्टेयर) तथा जलाशय की परिधि में लगभग 197 ग्रामीण पोखर (जलक्षेत्र लगभग 394.36 हेक्टेयर) उपलब्ध है। उपलब्ध जल संसाधनों का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.	जलाशय		मत्स्यबीज प्रक्षेत्र		संवर्धन पोखर	
	जलाशय का नाम	जलक्षेत्र (हे.)	नाम	जलक्षेत्र (हे.)	संख्या	जलक्षेत्र (हे.)
1	इंदिरासागर	59029	—	—	17	33.00
2	गांधीसागर	41318	नीमथूर	1.50	52	100.00
3	बाणसागर	31685	बाणसागर	10.00	55	133.00
4	बरगी	16649	बरगी	8.00	20	25.00
5	तवा	12145	पवारखेड़ा	5.50	5	6.00
6	ओंकारेश्वर	8000	—	—	13	7.50
7	हलाली	4795	भदभदा	2.50	6	6.00
8	बारना	4791	—	—	5	12.94
9	भीमगढ़	2328	—	—	6	14.00
10	कोलार	1928	—	—	3	3.92
11	केरवां	347	—	—	—	—
12	मड़ीखेड़ा	3298	—	—	5	15.50
13	राजघाट	15676	—	—	10	37.50
14	हरसी	1502.50	—	—	—	—
15	मोहनी	1022.00	—	—	—	—
16	राजघाट (सागर)	1144.00	—	—	—	—
17	सगढ़ (विदिशा)	1068.12	—	—	—	—
18	माही (जिला धार)	1487.69	—	—	—	—
19	कुटनी (छतरपुर)	1211.00	—	—	—	—
20	संजय सागर	1126.00	—	—	—	—
21	थावर (मंडला)	1297.00	—	—	—	—
22	मान (जिला धार)	1014.00	—	—	—	—
23	माचागोरा	3500.00	—	—	—	—
	योग	216361.98		27.50	197	394.36



4. भौतिक उपलब्धियां

4.1 स्पॉन उत्पादन -

महासंघ के अधीन उपलब्ध 5 हैचरियों से वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के निर्धारित लक्ष्य एवं स्पॉन उत्पादन माह दिसम्बर 2017 तक उपलब्धियां निम्नानुसार है :-

क्र	प्रक्षेत्र	वर्ष 16-17		वर्ष 17-18	
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2017 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2017 तक)
1	नीमथुर	900	341.00	900	625.50
2	भदभदा	1000	408.00	900	35.00
3	पवारखेड़ा	800	676.00	800	721.00
4	बरगी	600	784.00	750	752.00
5	बाणसागर	700	712.00	850	1025.00
	योग	4000	2921.00	4200	3158.50

4.2 स्टेण्डर्ड फ्राई उत्पादन

मत्स्य महासंघ के पास उपलब्ध संवर्धन क्षेत्रों से वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में स्टे. फ्राई उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर 2017 तक उपलब्धियां निम्नानुसार है :-

क्र	इकाई	वर्ष 2016-17			वर्ष 17-18	
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2017 तक)	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2018 तक)
1	गांधीसागर	125	21.221	16.98	125	0
2	इन्दिरासागर	50	44.990	89.98	50	50.100
3	बाणसागर	220	240.730	109.42	220	201.809
4	बरगी, भीमगढ़	170	222.580	130.93	170	0
5	पवारखेड़ा	20	14.000	70.00	20	20.380
6	भदभदा - भोपाल	15	31.800	212.00	15	11.360
7	ओंकारेश्वर	-	-	-	-	0
8	मड़ीखेड़ा	-	-	-	-	0
9	राजघाट	-	-	-	-	0
10	हरसी	-	-	-	-	0
11	मोहनी	-	-	-	-	0
12	केरवां	-	-	-	-	0
	योग	600	575.321	95.89	600	283.649



4.3 मत्स्य बीज संचय -

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु जलाशयों में प्रतिवर्ष अच्छी गुणवत्ता एवं बड़ी साईज का मत्स्य बीज का संचयन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में मत्स्य बीज संचय हेतु निर्धारित लक्ष्यों के विपक्ष में माह दिसम्बर 2017 तक मत्स्य बीज की संचयन उपलब्धिया निम्नानुसार हैं:-

(लाख में)

क्र	जलाशय	वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18	
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2017 तक)	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि दिसम्बर 2017 तक
1	गांधीसागर	125	50.950	40.76	125	72.906
2	इन्दिरासागर	177	180.717	102.10	177	116.240
3	बाणसागर	158	96.550	61.11	95	100.904
4	बरगी	84	87.960	104.71	67	0.00
5	भीमगढ़	12	18.010	150.08	12	13.210
6	तवा	0	0	0	0	0.00
7	हलाली	24	10.811	45.05	24	0.292
8	बारना	24	25.230	105.13	24	19.160
9	कोलार	10	10.082	100.82	10	9.866
10	कैरवा	3	4.183	139.43	4	0.006
11	ओंकारेश्वर	25	42.336	169.34	37	0.00
12	मड़ीखेड़ा	16.50	16.550	100.30	17	0.00
13	राजघाट चंदेरी	78	63.592	81.53	63	0.00
14	हरसी	7.50	7.530	100.40	10	0.00
15	मोहनी	5	5.091	101.82	10	0.00
16	राजघाट-सागर	6	6.505	108.42	6	6.029
17	सगढ विदिशा	5	1.695	33.90	10	21.100
18	माही	7	0	0	10	3.603
19	कुटनी	10	13.317	133.17	10	10.415
20	संजय सागर	10	3.347	33.47	10	0.0
21	थावर	10	13.532	135.32	10	7.910
22	मान	10	11.067	110.67	10	0.085
23	माचागोर	0	0	0	10	8.920
	योग	708	669.055	82.91	741.00	390.646

4.4 मत्स्य उत्पादन -

जलाशयों में मत्स्याखेट का कार्य मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है तथा आखेटित मत्स्य का विक्रय आऊटसोर्स नियुक्त कर उसके माध्यम से किया जाता है। मछुओं को आखेटित मछली पर श्रेणी अनुसार रु. 28/- एवं रु. 17/- प्रति किलो की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है जो देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में मत्स्य उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के विपक्ष में माह दिसम्बर 2017 तक मत्स्य उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:-



जलाशयवार मत्स्य उत्पादन

(टन में)

क्र	जलाशय	वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18	
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2017 तक)	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि दिसम्बर 2017 तक
1	गांधीसागर	3800	3544.571	93.28	4200	1182.937
2	इन्दिरासागर	3000	3060.251	102.01	3700	2019.088
3	बाणसागर	700	739.211	105.60	900	649.514
4	बरगी	300	197.799	65.93	350	47.719
5	भीमगढ़	50	29.689	59.38	60	16.998
6	तवा	0	0	0	0	0
7	हलाली	300	525.381	175.13	550	274.911
8	बारना	150	131.249	87.50	175	63.491
9	कोलार	100	35.075	35.08	100	31.408
10	कैरवा	5	20.251	405.02	30	20.467
11	ओंकारेश्वर	50	48.142	96.28	70	7.403
12	मड़ीखेड़ा	100	106.132	106.13	125	63.306
13	राजघाट	200	195.766	97.88	260	166.835
14	हरसी	50	50.667	101.33	60	38.485
15	मोहनी	40	40.262	100.66	60	15.319
16	राजघाट-सागर	40	38.454	96.14	50	13.523
17	सगढ विदिशा	10	3.406	34.06	20	7.601
18	माही	15	1.030	6.87	25	0.995
19	कुटनी	20	132.938	664.69	150	165.926
20	संजय सागर	20	0	0	50	6.103
21	थावर	40	12.544	31.36	40	6.136
22	मान	10	2.753	27.53	25	4.571
योग		9000	8915.571	99.06	11000	4803.102

5 मछुआ सहकारिता :- कार्यरत मछुए एवं रोजगार सृजन

- महासंघ के जलाशयों में मत्स्य उत्पादन का कार्य पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है।
- मार्च 2017 की स्थिति में महासंघ के जलाशयों हेतु 209 मत्स्य समितियाँ (सदस्य संख्या 10895) पंजीकृत हैं। इसमें से केवल 182 मत्स्य समितियाँ (सदस्य संख्या 8242) क्रियाशील हैं।
- मार्च 2017 की स्थिति में महासंघ के जलाशयों में 172 मत्स्य सहकारी समितियों के लगभग 2608 औसत मछुआरों द्वारा 263 दिवस मत्स्याखेट कार्य किया गया एवं 685904 मानव दिवस का सृजन हुआ।
- महासंघ के जलाशयों में कार्यरत प्रति मछुए को माह मार्च 2017 की स्थिति में प्रति दिन रुपये 362 /- की आय प्राप्त हुई।



कल्याणकारी योजनाएँ

मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआ सदस्यों एवं उनके परिवार के हितार्थ निम्नानुसार कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हैं ।

6 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा पोषित योजनाएँ :-

6.1 क्रेडिट कार्ड योजना :-

महासंघ के जलाशयों पर कार्यरत प्रदेश के मछुआरों को सहकारी बैंकों के माध्यम से "0" प्रतिशत ब्याज पर कार्यशील पूँजी हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु फिशरमेन क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक 22 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड बनाये जा चुके हैं तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 146 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड बनाये जा चुके हैं।

6.2 दुर्घटना बीमा योजना :-

मछुओं की मत्स्याखेट कार्य के दौरान या अन्य किसी कारणों से दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी विकलांगता के लिये 2,00,000 की राशि एवं आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1,00,000 की राशि योजना अन्तर्गत आश्रित परिवार के सदस्य को प्राप्त होती है। योजना का प्रीमियम रु. 20.27 पैसे प्रति व्यक्ति है, जिसमें 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य के विपक्ष में माह मार्च 2017 तक 15295 मछुओं को एवं माह दिसम्बर 2017 तक 11535 मछुओं को बीमित किया गया है।

6.3 बचत सह राहत योजना :-

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट बन्द ऋतु में मछुओं को आजीविका चलाने हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन के सहयोग से संचालित इस योजना में 1500 रुपये मछुओं से 9 समान किशतों में जमा कराये जाकर इस राशि में राज्य अंश 1500 रुपये तथा केन्द्रांश 1500 रुपये मिलाकर कुल राशि रुपये 4500 बन्द ऋतु अवधि में दो किशतों में वितरित की जाती है। । वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत माह मार्च 2017 तक 4340 मछुओं एवं वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 3611 मछुओं को योजना से लाभान्वित किया गया है।

उक्त योजनाओं अन्तर्गत लाभान्वित मछुओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना विवरण	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2017 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि दिसम्बर 2017 तक
1	2	5	6	7	8
1	क्रेडिट कार्ड योजना (संख्या)	500	22	500	146
2.	दुर्घटना बीमा	16000	15295	16000	11535
3.	बचत सह राहत	4500	4340	5000	3611

7. मत्स्य महासंघ द्वारा पोषित योजनाएँ :-

7.1 जनश्री बीमा योजना :-

योजना अन्तर्गत बीमित मछुओं की कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने, पूर्ण अशक्तता होने पर तथा दो आँखों या दो अंगों की हानि होने पर रुपये 75,000, एक आँख या एक अंग की हानि होने पर रुपये 37,500, तथा प्राकृतिक मृत्यु होने पर रुपये 30,000 की राशि आश्रितों को देय होती है। इसके अतिरिक्त इस योजना में मछुओं के 9 वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत दो बच्चों को हर छः माह में 600 रुपये की छात्रवृत्ति देय होती है। माह मार्च 2017 तक 242 बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है।

वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक 7003 मछुओं एवं वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत दिसम्बर 2017 तक 1512 मछुओं को बीमित किया गया है।



7.2 आजीविका सहयोग योजना (डेफर्ड वेजेस योजना) :-

योजना अन्तर्गत मछुआरों द्वारा वर्ष 2017-18 से आखेटित मछली पर रु. 4.00 प्रति किलो की दर से राशि उनके मत्स्याखेट प्रतिफल से काटी जाकर उतनी ही राशि (रुपये चार प्रति किलो) महासंघ द्वारा मिलाकर कुल राशि 8.00 रुपये प्रति किलो के मान से बन्द ऋतु दौरान एक या दो किशतों में मछुओं को भुगतान की जाती है। वर्ष 2016-17 में रु. 478.16 लाख का भुगतान मछुओं को किया गया है।

वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक योजनांतर्गत, उत्पादन के आधार पर 279.88 लाख डैफर्ड वैजेस का आकलन किया गया है।

7.3 जलदीप योजना :-

योजनान्तर्गत जलाशय के टापुओं एवं दूरस्थ आंतरिक किनारों पर मत्स्याखेट हेतु अस्थाई रूप से निवास करने वाले मछुओं को शासन की विभिन्न विभागीय योजनाओं (स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग आदि) का लाभ उनके कार्य स्थल पर ही उपलब्ध कराने की दृष्टि से महासंघ द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभाग के अधिकारियों के दल एवं सामग्री के परिवहन की व्यवस्था की जाकर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। वर्ष 2016-17 में 5674 मछुओं को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2017-18 माह दिसम्बर 2017 तक 2939 मछुओं को लाभान्वित किया गया है।

7.4 मछुआ प्रशिक्षण :-

मछुओं की दक्षता वृद्धि हेतु महासंघ द्वारा बड़े जलाशयों में गहरे पानी में मत्स्याखेट का मछुआरों को 02 दिवसीय प्रशिक्षण देने की योजना है।

क्र.	योजनाएं	2016-17		2017-18	
		लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च 2017 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि दिसम्बर 2017 तक
1	2	5	6	7	8
1	जनश्री बीमा (संख्या)	6500	7003	7000	1512
2.	डिफर्ड वेजेस (लाख रु.)	540.0	478.16	660.00	279.88
3.	जलदीप योजना (मछुआ संख्या)	5000	5674	5000	2939
4.	मछुआ प्रशिक्षण	350	230	350	220

7.5 नाव-जाल प्रदाय हेतु 80-20 अनुदान योजना :-

योजना अन्तर्गत मछुओं को महासंघ द्वारा नाव-जाल के लिये 80 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। जाल क्रय हेतु 1 वर्ष में एक मछुए को उनकी योग्यता के आधार पर 10/15 किलो जाल, पर क्रमशः रु. 4800/- एवं रु. 7200/- की अनुदान राशि दी जाती है। इसी प्रकार नाव हेतु 5 वर्ष में 2 मछुओं के बीच एक नाव मूल्य रु. 8000, 10000, 12000 पर नाव चयन के आधार पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में 3647 मछुओं को रु. 208.00 लाख का भुगतान योजनांतर्गत किया गया है। वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत अनुदान राशि मछुओं को नाव-जाल हेतु वितरित की करने की कार्यवाही जारी है।

7.6 गंभीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना :-

योजना अन्तर्गत महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों एवं उनके परिवार के सदस्यों को 22 गंभीर, बीमारियों के इलाज हेतु अधिकतम 20 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त



गंभीर बीमारीयों जैसे केसर, हृदय रोग, किडनी रोग आदि हेतु 40,000/- का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016-17 योजनांतर्गत 10 मछुआ सदस्यों को राशि 1,68,400/- का भुगतान किया गया। एवं वर्ष 2017-18 योजनांतर्गत 05 मछुआ सदस्यों को राशि 1,16,538/- का भुगतान किया गया।

7.7 निषादराज छात्रवृत्ति योजना

महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों के बच्चों को उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु महासंघ द्वारा "निषादराज छात्रवृत्ति योजना" लागू की गई है। योजना में मेडिकल, इंजिनियर, लॉ आदि की पढ़ाई हेतु राशि रु. 20,000/- की छात्रवृत्ति एवं बी0ए0, बी0एफ0एस0सी आदि समानांतर पाठ्यक्रमों हेतु राशि रु. 10,000/- तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत माह दिसम्बर 2017 तक 17 छात्रों को राशि रु.1,64,688/- की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

6.2.7 मुख्य मंत्री मीनाक्षी विवाह योजना

महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुओं की 2 कन्या के विवाह हेतु महासंघ द्वारा "मुख्य मंत्री मीनाक्षी विवाह योजना" आरंभ की गई है जिसमें मछुओं की विवाह योग्य कन्या के विवाह तथा विधवा/परित्यक्ता कन्या के पुनर्विवाह हेतु विवाह के कार्यक्रमों के आयोजन एवं उनकी गृहस्थी बसाने हेतु महासंघ द्वारा राशि रु. 15,000/- से बढ़ाकर इस वर्ष से रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता, शासन की अन्य योजना के अतिरिक्त दी जाएगी। वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत माह मार्च 2017 तक 45 कन्याओं को राशि रु. 6,75,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत माह दिसम्बर 2017 तक 80 कन्याओं को राशि रु.12,45,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

7.9 शिक्षा प्रोत्साहन योजना

योजनान्तर्गत महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों के शिक्षारत बच्चे जिनके द्वारा 8^{वीं}, 10^{वीं} एवं 12^{वीं} कक्षा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, को क्रमशः राशि रु. 2000 एवं रु. 1000 प्रोत्साहन राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 5000/- रुपये का विशेष पुरस्कार देने का प्रावधान है। वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक कुल 371 छात्रों को राशि रु. 7.07 लाख का भुगतान योजनांतर्गत किया गया है। वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 420 बच्चों को राशि रु. 7.35 लाख का भुगतान योजनांतर्गत किया गया है।

7.10 प्रोत्साहन पुरस्कार योजना :-

महासंघ द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों के साथ-साथ उत्कृष्ट मछुआरों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2016-17 में 19 समितियों, 182 मछुआरों को पुरस्कार स्वरूप लगभग रु. 16.30 लाख की राशि वितरित की गई, । वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 41 समितियों, 160 मछुआरों को पुरस्कार स्वरूप लगभग रु. 16.31 लाख की राशि वितरित की गई, ।

8. मत्स्य महासंघ की वित्तीय स्थिति :-

8.1 - मत्स्य महासंघ एक स्ववित्त पोषी सहकारी संस्था है जिसे अपने नियमित कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य शासन अथवा अन्य वित्तीय संस्था से कोई अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती है।

8.2 - वर्ष 2016-17 (माह मार्च 2017 तक) की स्थिति एवं वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक आय-व्यय एवं लाभ की जानकारी इस प्रकार है :-

(लाख में)

क्र.	विवरण	2016-17 (मार्च 2017 तक)	वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)
1	आय	4486.12	3506.92
2	व्यय	1783.41	1866.23
3	लाभ	2702.71	1640.69

नोट:- मत्स्य महासंघ का वर्ष 2016-17 तक का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है।



विशेष उपलब्धियाँ :-

- महासंघ के जलाशयों का वार्षिक में मत्स्य उत्पादन बढ़कर लगभग 44.00 किग्रा/हैक्टेयर हो गया, जो राष्ट्रीय उत्पादन 33 किग्रा/हैक्टेयर की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2016-17 में 8915.571 टन मत्स्य उत्पादन अर्जित हुआ है।
आजीविका सहयोग योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में मार्च 17 तक मछुओं को रु. 478.16 लाख की राशि वितरित की गई है, जो वर्ष 2017-18 माह दिसम्बर 2017 तक रु. 279.88 लाख आंकलित की गई है।
80:20 अनुदान योजना अंतर्गत मत्स्य महासंघ के अर्जित लाभ में से वर्ष 2015-16 में 3188 मछुआरों को रु. 201.394 लाख का अनुदान वितरित। वर्ष 2016-17 में योजना अन्तर्गत 3647 मछुआरों को रु. 208.00 लाख का अनुदान वितरित किया गया।
- मत्स्य महासंघ की सकल जमा राशि मार्च 2015 में रु. 18 करोड़ से बढ़कर मार्च 2017 की स्थिति में रु. 98.26 करोड़ हुई।
- एन.एम.पी.एस योजना अन्तर्गत, 3 जलाशयों के 4 केजों का निर्माण कर, उससे अतिरिक्त लगभग 671.342 टन मत्स्य उत्पादन प्राप्त हुआ है।

उपलब्धि में वृद्धि हेतु किये गये विशेष प्रयास :-

जलाशयों में अच्छी गुणवत्ता वाले अधिक मत्स्य बीज का संचयन सुनिश्चित किया गया।
मछुओं को विशेष कल्याणकारी योजनाओं का अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया जिससे उनके पास कार्य हेतु अधिक मात्रा में जाल एवं नाव उपलब्ध हो सके।
मत्स्याखेट पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की गई जिससे मछुओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का उन्नयन हुआ।

भविष्य में किये जाने वाले विशेष प्रयास :-

- वैज्ञानिकों के परामर्श अनुसार जलाशयों में अच्छी गुणवत्ता वाले अधिक मत्स्य बीज का संचयन सुनिश्चित किया जावेगा।
- मछुओं को मत्स्याखेट संसाधनों जैसे - नाव एवं जाल के विकास हेतु मछुआ कल्याणकारी योजनाओं में अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- मछुओं हेतु नवीन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जावेगी।
- आवश्यकतानुसार मत्स्याखेट पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की जावेगी।
- अधिक से अधिक मछुओं को प्रशिक्षित किया जावेगा।
- जलाशय प्रबंधन हेतु संसाधनों का विकास किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।



नील क्रांति योजना अंतर्गत पंगेशियस प्रजाति के मत्स्य पालन हेतु स्थापित केज





मा. मंत्रीजी मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग श्री अंतर सिंह आर्य जी, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. कैलाश विनय एवं उपाध्यक्ष श्री राजू बाथम द्वारा संचालनालय मत्स्योद्योग कार्यालय को आईएसओ का प्रमाण-पत्र देते हुए।



मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने राज्य स्तरीय मछुआ कार्यशाला में विभागीय पोर्टल का शुभारंभ किया।



मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
संचालनालय मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश